रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21, 1979 (आषाढ़ 30, 1901)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21, 1979 (ASADHA 30, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 24 जून 1979

सं० ए० 35014/1/79-प्रशा० III—सचिव संघ लोक सेवा आयोग, एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री ए० गोपाल कृष्णन् को आयोग के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद पर स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए 21-6-1979 से 31-8-1979 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो नियुक्त करते हैं।

अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद पर नियुक्ति होने पर श्री ए० गोपालकृष्णन् को वेतन समय समय यथा संशोधित वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० एफ० 0(24)ई III/60 दिनांक 4-5-1961 के अनुसार विनियमित होगा।

एस० बालचन्द्रन
अवर सचिव
कृते सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 जून, 1979

सं० ए० 32013/3/79-प्रशा० I—राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के के० स० सेवा संवर्ग के स्थायी ग्रेड I अधिकारी श्री एस० के० बोस को 19-5-79 से तीन महीने की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उपसचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है।

दिनांक, 21 जून, 1679

सं० ए० 32014/1/79-प्रशा० III—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों को राष्ट्रपति द्वारा, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले

हो, अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर, कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम	अवधि जिसके लिये अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया गया	टिप्पणी
1.	श्री एम० एन० एल० भटनागर	2-6-79 से 19-7-79	
2.	श्री एम० एन० अरोड़ा	1-6-79 से 10-7-79	
3.	श्री आर० पी० शर्मा	21-5-79 से 25-6-79	
4.	श्री एम० डी० एस० मिनहास	19-5-79 से 16-6-79	
5.	श्री जे० एल० सूद	14-5-79 से 30-6-79	

सं० ए० 32014/1/79-प्रशा०-III—संघ लोक सेवा आयोग में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री के० पी० अय्यर को राष्ट्रपति द्वारा, 17-6-79 से 31-7-79 तक की अतिरिक्त अवधि के लिये अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हों, उसी संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के पद पर, तदर्थ आधार पर, कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है ।

एम० बालाचन्द्रन
अवर सचिव
(प्रशासन प्रभारी)
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जुलाई 1979

सं० ए० फ० 2/32/79-स्थापना सी० आर० पी० एफ० (पर्स)—राष्ट्रपति 26 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट श्री आई० जयसिन्हा को अगले आदेशों तक 26 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेन्ट के रूप में अपनी ड्यूटियों के अतिरिक्त 17 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का कमान्डैन्ट नियुक्त करते हैं ।

महेन्द्र प्रसाद,
निदेशक (पी०)

का० एवं प्र० सु० विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1979

सं० सी० 9/72-प्रशासन-5—निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री सी० आर० चटर्जी, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, में दिनांक 31-5-79 के अपराह्न में पुलिस उप-अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया ।

दिनांक 26 जून 1979

सं० ए० 31014/2/76-प्रशासन-I—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 20-10-77 से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापना, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में मूलरूप से पुलिस उप-अधीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद-स्थापन का वर्तमान स्थान	पद जिस पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पहले से स्थायी है	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शाखा जिसमें पुलिस उप-अधीक्षक के स्थायी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखा गया
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	बी० एन० सिन्हा	नागालैंड (कोहिमा) सरकार में प्रतिनियुक्ति पर	निरीक्षक	सा० अ० स्कंध कलकत्ता
2.	के० एन० गुप्ता	सी० आई० यू०-1	निरीक्षक	सी० आई० यू०-1
3.	एम० पी० नन्दापुरकर	सा० अ० स्कंध, बम्बई	निरीक्षक	सा० अ० स्कंध/बम्बई
4.	सी० आर० चटर्जी	सा० अ० स्कंध, कलकत्ता	निरीक्षक	सा० अ० स्कंध/कलकत्ता
5.	सी० के० पाठक	मुख्यालय/जोन-4	निरीक्षक	मुख्यालय
6.	आर० पी० कपूर	सी० आई० यू० (सी०)	निरीक्षक	सी० आई० यू० III)
7.	एन० पी० वर्मा	सी० आई० यू० (एन० सी०)	निरीक्षक	सी० आई० यू० (एन० सी०)

1	2	3	4	5
8	एस० आर० जायसवाल	देहरादून	निरीक्षक	लखनऊ
9.	हरीश चन्द्र	मा० अ० स्कंध, दिल्ली	निरीक्षक	मा० अ० स्कंध/दिल्ली
10.	रजनीश प्रसाद शर्मा	सी० आई० यू० (ई-II,	निरीक्षक	सी० आई० यू० (ई-II)
11.	पी० उन्नीकृष्णन	मा० अ० स्कंध, मद्रास	निरीक्षक	मा० अ० स्कंध/मद्रास
12.	गुरमेल सिंह	समन्वय प्रभाग	निरीक्षक	मुख्यालय
13.	के० जी० विद्यासागर	एस० यू०	निरीक्षक	एस० यू०
14.	ए० डब्ल्यू० डेगवेकर	एस० आई० यू० (कोर्ट सैल)	निरीक्षक	एस० यू०
15.	के० सी० कानूनगो	मा० अ० स्कंध, कलकत्ता	निरीक्षक	मा० अ० स्कंध/कलकत्ता
16.	अशोक कुमार सूरी	सी० आई० यू० (एफ०)	निरीक्षक	मा० अ० स्कंध/दिल्ली
17.	मुरारी लाल	शिलौंग	निरीक्षक	शिलौंग

प्रोन्नति पाने वालों/स्थानान्तरितों/सीधी भर्ती वालों जिनको इस बैच में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में स्थायी किया गया है/स्थायी रूप से समाहृत किया गया है, की परस्पर वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी ।

सं० ए-19020/2/79-प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री एस० सुब्रमनियम, भारतीय पुलिस सेवा (1958-आंध्र प्रदेश) को दिनांक 16-6-79 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना के रूप में नियुक्त करते हैं ।

हीरो ए० शहानी
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जून 1979

सं० ओ० दो० 1103/78-स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा० बी० कृष्णा प्रसाद, बेस हास्पिटल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल हैदराबाद, का त्यागपत्र दिनांक 14 मार्च 1979 अपराह्न से स्वीकृत कर लिया ।

ए० के० बन्द्योपाध्याय
सहायक निदेशक
(प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली 110019 दिनांक 29 जून 1979

सं० ई-16013(2)/15/73-कार्मिक—प्रत्यावर्तित होने पर श्री डब्ल्यू० जे० देउसन मा० पु० से० (केरल-65) ने 31 मई, 1979 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास के कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं० ई-16013(1)/2/78-कार्मिक—निवर्तन की आयु होने पर श्री बी० मालारेड्डी ने 31 मई, 1979 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट आई० डी० पी० एल० हैदराबाद के कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सु० नाथ
महानिरीक्षक/के० औ० सु० ब०

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 28 जून 1979

सं० 11/45/79-प्रशा०-I-11712—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उड़ीसा संवर्ग के अधिकारी, श्री ए० आर० नन्दा को तारीख 1 जुलाई, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उड़ीसा, कटक में जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. श्री नन्दा का मुख्यालय कटक में होगा ।

सं० 11/62/79-प्रशा०-I-11710—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जम्मू और कश्मीर संवर्ग के अधिकारी श्री ए० एच० खान को तारीख 1 जून, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. श्री खान का मुख्यालय श्रीनगर में होगा ।

सं० 11/72/79-प्रशा०-I-11711—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक संवर्ग के अधिकारी, श्री बी० के० दास को तारीख 6 जून, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक कर्नाटक, बंगलौर में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते है ।

2. श्री दास का मुख्यालय बंगलौर में होगा ।

दिनांक 29 जून 1979

सं० 11/I/77-प्रशा०-I-11790—इस कार्यालय की तारीख 9 अप्रैल, 1979 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनु-

क्रम में राष्ट्रपति, बिहार पटना में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक, श्री एम० के० पाठक को तारीख 31 मई, 1978 के अपराह्न से 12 सितम्बर, 1978 तक जनगणना कार्य निदेशक, मणिपुर, इम्फाल में अस्थाई तौर पर, तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । श्री पाठक का मुख्यालय इम्फाल में होगा ।

2. राष्ट्रपति, श्री एस० के० पाठक को मणिपुर, इम्फाल में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में तारीख 13 सितम्बर, 1978 से अगले आदेशों तक अस्थायी तौर पर, नियमित आधार पर भी सहायक निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । श्री पाठक का मुख्यालय इम्फाल में होगा ।

पी० पदमनाभ
भारत के महा जीकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 22 जून 1979

फा० सं० बीएनपी/सी/5/79—इस कार्यालय की सम-संख्यक अधिसूचना दिनांक 27-3-79 के अनुक्रम में श्री बी० वेंकटरमणी की तकनीकी अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति दिनांक 27-6-79 से 31-8-79 तक निरन्तर की जाती है ।

पी० एम० शिवराम
महा प्रबन्धक

मुद्रण निदेशालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक जुलाई 1979

सं० के० (21) प्रशासन-II—मुद्रण निदेशक ने श्री हरजीत सिंह खन्ना, तकनीकी अधिकारी (फोटो लिथो) को दिनांक 20-6-79 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, चण्डीगढ़ में उप-प्रबन्धक (फोटो लियो) के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है ।

पी० बी० कुलकर्णी
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 1979

आयात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

सं० 6/574/54-प्रशासन (राज)-4767—सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, श्री डी० एम० भोरकीमा ने इस कार्यालय से 31 मई, 1979 के दोपहर बाद से उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

राजिन्दर सिंह
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 जून 1979

सं० ए-19011/12/79-बी० आई० सी० पी०—औद्योगिक विकास विभाग से स्थानान्तरण होने पर उद्योग संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के अधिकारी श्री जी० बी० माथुर को जनवरी 7, 1979 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो में प्रति नियुक्ति के आधार पर सहायक सचिव एवं प्रशासन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

लबराज कुमार
अध्यक्ष
औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8/13 जून 1979

सं० 12 (710)/72-प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के श्री डी० सी० श्रीवास्तव, उप निदेशक (अर्थ) को दिनांक 26 मई, 79 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली में उप निदेशक (आर्थिक अन्वेषण) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 16 जून 1979

सं० 12(684)/71-प्रशासन (राजपत्रित)—राष्ट्रपतिजी, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना के श्री आर० आर० फौजदार, सहायक निदेशक ग्रेड-II (सामान्य प्रशासन प्रभाग) को दिनांक 25 मई, 1979 (पूर्वाह्न) से छः महीने की अवधि के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर में सहायक निदेशक ग्रेड-I (सामान्य प्रशासन प्रभाग) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 18 जून 1979

सं० ए-19018(196)/75-प्रशासन (राजपत्रित)—राष्ट्रपति जी, विस्तार केन्द्र, जालंधर के श्री सुशील कुमार, सहायक निदेशक, ग्रेड-II (चमडा/पादुका) को दिनांक 2 अप्रैल, 1979 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक, विस्तार केन्द्र, जालंधर में सहायक निदेशक, ग्रेड-I (चमडा/पादुका) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 20 जून, 1979

सं० 12 (68)/61-प्रशासन (राजपत्रित)—राष्ट्रपति जी, लघु उद्योग सेवा संस्थान, इलाहाबाद के श्री मोहम्मद अकरम, निदेशक, ग्रेड-II (यांत्रिक) को दिनांक 22 अप्रैल, 1979 (पूर्वाह्न) से लघु उद्योग सेवा संस्थान, इलाहाबाद में निदेशक, ग्रेड-I (यांत्रिक) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

महेन्द्र गुप्त
उप निदेशक (प्रशासन)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-1)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1979

सं० प्र-1/1(1138)/79—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा श्री बी० के० मक्सेना, अधीक्षक को दिनांक 28-4-79 (अपराह्न) से 15-7-79 तक निरीक्षक निदेशक, उत्तरी निरीक्षण मण्डल, नई दिल्ली के कार्यालय में श्री ज्ञान चन्द के स्थान पर जो बीमारी की छुट्टी पर गये है, सहायक निदेशक (ग्रेड 2) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

कृष्ण किशोर
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान

प्रशासन अनुभाग-6

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 1979

सं० ए-17011/(59)/73-प्र-6—निरीक्षण निदेशक मद्रास के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) श्री ए० आर० हुसैनी निवर्तमान आयु होने पर दिनांक 31-5-1977 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए ।

पी० डी० सेठ
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 1979

सं० 1/14/78-एस-दो—महानिदेशक आकाशवाणी श्री जेम्ज गोम्ज डी मैलो, प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय विक्रय एकांश, सी० बी० एस०, आकाशवाणी, बम्बई को आकाशवाणी मद्रास में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी के पद पर अस्थाई रूप से 27 अप्रैल, 1979 से नियुक्त करते हैं ।

सं० 1/1/79-एस-दो—महानिदेशक आकाशवाणी श्री जे० डी० जौहरी, मुख्यालिपिक/लेखाकार, विदेश सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, दिल्ली को उच्च शक्ति प्रेषित, आकाशवाणी, खामपुर में प्रशासन अधिकारी के पद पर, अस्थाई रूप से 26 अप्रैल, 1979 से नियुक्त करते हैं ।

एस० वी० सेषाद्री
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 1979

सं० 1/5/78-एस-दो—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और बीमा शुल्क मंडल, मद्रास से प्रतिनियुक्ति पर क्षेत्रीय इंजीनियर (दक्षिण) आकाशवाणी, मद्रास में लेखा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे श्री पी० दोरायस्वामी का 7-3-79 को देहान्त हो गया ।

बाई वर्मा
अनुभाग अधिकारी
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 1979

सं० ए-12025/2/73-प्रशासन-1/डी एस (सी)—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को 25-6-1979 से आगामी आदेश तक प्रकाशन विभाग में सहर्ष व्यापार व्यवस्थापक नियुक्त करते हैं ।

(1) श्री ओ० पी० मक्कड़, इस समय नई दिल्ली (मुख्यालय) में तदर्थ व्यापार व्यवस्थापक

(2) श्री नगेन्द्र मिश्रा, इस समय विक्रम भण्डार, कलकत्ता में तदर्थ व्यापार व्यवस्थापक

(3) श्री एम० आर० राजगोपालन, इस समय क्षेत्रीय वितरण कार्यालय में सहायक व्यापार व्यवस्थापक

(4) श्री ईश्वरचन्द्र इस समय नई दिल्ली (मुख्यालय) में सहायक व्यापार व्यवस्थापक

2. व्यापार व्यवस्थापक के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानान्तरण/तैनाती के भी तत्काल आदेश दिए जाते है :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानांतरण/तैनात किए जाने वाला स्थान
1	2	3	4
1.	श्री एस० एल० जायसवाल	विक्रय भण्डार, बम्बई	नई दिल्ली (मुख्यालय)
2.	श्री ओ० पी० मक्कड़	नई दिल्ली (मुख्यालय)	विक्रय भंडार (कलकत्ता)

1	2	3	4
3.	श्री नगेन्द्र मिश्रा	विक्रय भण्डार कलकत्ता	विक्रय भण्डार, बंबई
4.	श्री एम० आर० राजागोपालन	क्षेत्रीय वितरण कार्यालय मद्रास	विक्रय भण्डार, मद्रास
5.	श्री ईश्वरचन्द्र	नई दिल्ली	विक्रय भण्डार, त्रिवेन्द्रम

सूरज प्रकाश गुप्ता
उप सचिव

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26, दिनांक 25 जून 1979

सं० ई 22013/3/77-सिबन्दी-I—फिल्म प्रभाग बम्बई में दिनांक 12-6-1979 के पूर्वाह्न से श्री एन० एन० सिंह के सहायक प्रशासकीय अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर, फिल्म प्रभाग, बम्बई के स्थानापन्न सहायक प्रशासकीय अधिकारी, श्री एच० जी० भंडारकर दिनांक 12-6-1979 की पूर्वाह्न को अपने स्थायी अधीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित हुए ।

एम चन्द्रन नायर
प्रशासकीय अधिकारी
कृते मुख्य निर्माता

बम्बई, दिनांक 21 जून 1979

सं० 5/4/56-सिबन्दी ।—फिल्म प्रभाग बम्बई के स्थायी इन बिटवीन एनीमेटर श्री बी० आर० डोहडिग दिनांक 31-5-1979 के दुपरान्ह से स्वैच्छिक आधार पर सेवा-निवृत्त हुए ।

नरेंद्र नाथ शर्मा
सहायक प्रशासकीय अधिकारी
कृते मुख्य निर्माता

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 1979

सं० ए० 12025/13/77 प्रशासन-I—राष्ट्रपति ने डा० प्रमोद कुमार सरीन को 31 मार्च, 1979 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में स्टाफ सर्जन (दन्त) के पद पर अस्थाई आधार पर तैनात किया है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में स्टाफ सर्जन (दन्त) के पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप डा० प्रमोद कुमार सरीन ने 31 मार्च, 1979 पूर्वाह्न को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली से दन्त सर्जन के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

दिनांक 30 जून 1979

सं० ए० 12025/22/77 (एफ० आर० एस० एल०) प्रशासन—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कानपुर के कनिष्ठ कैमिस्ट श्री जी० सी० राय को खाद्य मानक अनुसंधान प्रयोगशाला गाजियाबाद में 30 मई, 1979 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

शामलाल कुठियाला
उपनिदेशक
प्रशासन

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग

बम्बई 5, दिनांक 19 जून 1979

सं० पी० पी० ई० डी०/3 (282)/76 प्रशासन 9572—विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग, बम्बई के निदेशक, रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य श्रेणियां) दक्षिण, मद्रास के कार्यालय के अनुभाग अधिकारी (लेखा) श्री एम. एस० मोहम्मद इकबाल को इस प्रभाग में प्रतिनियुक्ति कि शर्तों पर मई 23, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक रुपये 650-30-740-35-880-द० रो० 40-960 के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

व० वि० धत्ते
प्रशासन अधिकारी

नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना

नरौरा, दिनांक 3 जुलाई 1979

सं० नं० प० वि० प./प्रशासन 11 (24)/79 एस/773—नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अभियन्ता, सिविल अभियन्त्रण समूह कलपक्कम के वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी०, श्री जयरामन को स्थानापन्न रूप में, नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० के पद पर, कार्य करने हेतु 14 जून 1979 के पूर्वाह्न से अग्रिम आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं ।

एस० कृष्णन
प्रशासन अधिकारी
कृते-मुख्य परियोजना अभियन्ता

क्रय एवं भंडार निदेशालय

बम्बई 400001, दिनांक 19 जून 1979

सं० डी० पी० एस./23(4)/77-संस्थापन/16428—निदेशक क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, निम्नलिखित क्रय सहायकों को, सहायक क्रय अधिकारी पद

पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने हेतु, रुपये 650-307-40 35-810 द० रो० 35-880-40-1000 द० रो० 40-1200 के वेतन क्रम में उनके नाम के सामने प्रदर्शित समयावधि हेतु, इसी निदेशालय में तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं :

क० संख्या	नाम	समयावधि
1.	श्री एस० एन० देशमुख,	21-2-1979 से 23-3-1979 तक
2.	श्री जे० टी० नेरूरकार	9-4-1979 से 19-5-1979 तक ।
3.	श्री डी० आर० साखरे	23-4-1979 से 2-6-1979 तक ।
4.	श्री एन० प्रभाकरन्,	23-4-1979 से 1-6-1979 तक ।
5.	श्री एस० जी० जामसन्देकर	14-5-1979 से 16-6-1979 तक ।
6.	श्री वी० सी० बर्की,	30-4-1979 से 22-6-1979 तक ।

सी० वी० गोपालकृष्णन
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद-500016, दिनांक 25 जून 1979

सं० प ख प्र-1/8/79-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक श्री व० क० शर्मा, फोरमैन 'क' (यांत्रिक) को परमाणु खनिज प्रभाग में । फरवरी 1979 को पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं ।

सं० प० ख० प्र०-1/8/79-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक, श्री एस० सी० सुबुद्धी, फोरमैन (यांत्रिक) को परमाणु खनिज प्रभाग में 1 फरवरी 1979 के पूर्वाह्न से लेकर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 27 जून 1979

सं० प ख प्र-1/29/78 प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा श्री जाफर हुसैन को दिनांक 12 जून, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक परमाणु खनिज प्रभाग में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "एस० बी०' नियुक्त करते हैं ।

एम० एस० राव
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

भारी पानी परियोजना

बम्बई-400 008, दिनांक जून 1979

सं० 05052/79/4121—भारी पानी परियोजना के, विशेष कार्य अधिकारी, श्री ताडावर्ती वेंकटेश्वर गुप्ता, अस्थायी फोरमैन, भारी पानी परियोजना (तूतीकोरिन) को, उसी परियोजना में 1 फरवरी पूर्वाह्न, 1979 से आगे आदेश होने तक के लिए स्थापनापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी अभिन्यता (ग्रेड एस० बी०) नियुक्त करते है ।

सं० 05052/79/4122—भारी पानी परियोजना के, विशेष कार्य अधिकारी, श्री मनोज कुमार चक्रवर्ती, अस्थायी फोरमैन, भारी पानी परियोजना (तलचर) को उसी परियोजना में 1 फरवरी पूर्वाह्न, 1979 से आगे आदेश होने तक के, लिए स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/ अभियन्ता (ग्रेड एम० बी०) नियुक्त करते है ।

के० शंकरानारायण
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 29 जून 1979

सं० ए० 22012 (1)/1-/79ई०-I —राष्ट्रपति भारत मौसम विज्ञान विभाग मे पुणे स्थित मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (पूर्वानुमान) डा० पी० एस० पंत, को उसी विभाग में नई दिल्ली में दिनांक 21-4-1979 से और आगामी आदेशों तक, मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (भौतिक मौसम विज्ञान और भू-भौतिकी) के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं ।

एस० के० दास
मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक
प्रशासन एवं भंडार

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 1979

सं० ए० 38013/1/79-ई० ए० —निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री मीर अनवर, नियंत्रक विमान क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय मद्रास क्षेत्र, मद्रास एअरपोर्ट, दिनांक 31 मई, 1979 अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत हो गए है ।

दिनांक 20 जून 1979

सं० ए० 32013/२/79-ई० एस०—इस कार्यालय की दिनांक 15-3-74 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति ने सर्व श्री एस० रंजन और चमनलाल को तीन माह के लिए अर्थात् 13 अगस्त, 1979 तक या ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, सामान्य शर्तों के अधीन उप निदेशक नियंत्रक वैज्ञानिक निरीक्षण के ग्रेड में नियुक्त किया है।

वि० वि० जौहरी
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

इन्दौर, दिनांक 27 जून 1979

सं० 8/79—श्री शेख अब्दुल, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद (प्र० श्रेणी) ने उनकी अधीक्षक, केन्द्रीय, उत्पाद शुल्क, श्रेणी, 'ख' के पदपर पदोन्नति होने पर दिनांक 14-5-79 के पूर्वाह्न में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बहुदीय अधिकारी रेंज-1, सागर का कार्यभार संभाल लिया।

श्री आर० के० तिवारी, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (प्र० श्रे०) ने उनकी अधिक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, श्रेणी 'ख' के पदपर पदोन्नति होने पर दिनांक 1-6-79 के पूर्वाह्न में अधीक्षक (निवारक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रभागीय कार्यालय, सागर का कार्यभार संभाल लिया।

शिवन किशिनधर
समाहर्ता

केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड

फरीदाबाद, दिनांक 8 जून 1969

सं० 3-564/79 ई० ए०—श्री बलबीर सिंह को दिनांक 25-5-79 (पूर्वाह्न) से सहायक प्रशासन अधिकारी वर्ग 'ब' (राजपत्रित) के तदर्थ और अस्थाई पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में उनके मुख्यावास फरीदाबाद के साथ वेतन मान 650-30-780-35-810 ई० बी० 35-880-40-1000 ई० बी० 40-1200 के अन्तर्गत अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

बी० के० बावेजा
कृते मुख्य जल भू-विज्ञ

महानिदेशक कार्यालय
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1979

सं० 27-ई०/टी० (15)/78-ई० सी० — इस कार्यालय के अधिसूचना संख्या 27 ई० टी/० (15)/78 ई० सी० 11 दिनांक 8/13 जून 1979 की चतुर्थ पंक्ति में दिनांक 5 जून 1979 के स्थान पर 3 जून 1979 (अपराह्न) समझी पढ़ा जाये।

वी० आर० रत्तू
प्रशासन उपनिदेशक
कृते निर्माण महानिदेशक

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली-110022, दिनांक 28 जून 1979

सं० 6/5/78-प्र०-2—अध्यक्ष, केन्द्रीय प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित तकनीकी सहायकों/पर्यवेक्षकों को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (श्रेणी-2) सेवा में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के ग्रेड में उनके नामों के सामने दी गई तिथियों के अन्य आदेश होने तक स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

1. श्री बी० पी० एस०, फौजदार, तकनीकी सहायक 3-5-1979।
2. श्री ए० के० अग्निहोत्री, तकनीकी सहायक 9-5-1979।
3. श्री आई० ए० खान, तकनीकी सहायक 3-5-1979।
4. श्री एस० एन० मोहन्ती, तकनीकी सहायक 3-5-1979।
5. श्री वी० के० सिंगला, तकनीकी सहायक 3-5-1979।
6. श्री बी० जगन्ना, तकनीकी सहायक 3-5-1979।
7. श्री ओ० पी० अरोड़ा, तकनीकी सहायक, 4-5-1979।
8. श्री आर० एन० माथुर, तकनीकी सहायक 3-5-1979।
9. श्री जी० जी० पाल, तकनीकी सहायक 11-5-1979।
10. श्री डी० के० बबूटा, तकनीकी सहायक 3-5-79।
11. श्री आर० के० शर्मा, तकनीकी सहायक 3-5-79।
12. श्री एस० के० सब्बूजा, तकनीकी सहायक, 4-5-79।
13. श्री एच० के० खड्डूजा, तकनीकी सहायक, 3-5-79।
14. श्री ओम प्रकाश-II तकनीकी सहायक, 3-5-79।
15. श्री सुनील कुमार, तकनीकी सहायक, 4-5-79।
16. श्री यू० के० सिंघल, तकनीकी सहायक 3-5-79।
17. श्री एस० के० श्रीवास्तव-1, तकनीकी सहायक, 3-5-79।
18. श्री टी० सी० सान्याल, तकनीकी सहायक, 8-5-79।
19. श्री आर० एस० मूरजानी, तकनीकी सहायक, 3-5-79।
20. श्री टी० आर० बहल, तकनीकी सहायक, 3-5-79।
21. श्री आर० के० गर्ग, तकनीकी सहायक, 3-5-79।

22. श्री आर० सी० सुब्बाराजू, तकनीकी सहायक, 7-5-79
23. श्री राकेश भानोट, तकनीकी सहायक, 3-5-79
24. श्री चंदन राय, तकनीकी सहायक, 30-5-79
25. श्री आर० सी० तिवारी, तकनीकी सहायक, 3-5-71
26. श्री ए० के० मूद, तकनीकी सहायक, 3-5-79
27. श्री बट्टों सिंह तकनीकी सहायक, 3-5-79 ।
28. श्री ए० एस० राय, पर्यवेक्षक, 8-6-79
29. श्री के० एस० संघू, पर्यवेक्षक, 4-6-79 ।
30. श्री सुरिन्द्र प्रसाद, पर्यवेक्षक, 8-6-79

संतोष विश्वास
अवर सचिव

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनी विधि बोर्ड
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में और वेस्टएण्ड बैबिन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

बम्बई, दिनाक 20 जून 1979

सं० 14690 लि० अजी स० से स्थित उच्चन्यायालय के तारीख 15-11-78 के आदेश द्वारा वेस्ट एण्ड बैबिन्स प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन करने का आदेश दिया गया है ।

(ह०) अपठनीय
कम्पनीयों के सहायक रजिस्ट्रार

"कम्पनी अधिनियम 1956 और फ्लोरिशिंग हाइसपरचेज फाईनेन्स एन्ड चिटफन्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालंधर, दिनाँक 27 जून 1979

स० जी० स्टेट/560/28-86/2497—कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि फ्लोरिशिंग हाइट परचेज फाईनेन्स एन्ड चिटफन्ड, प्राइवेट लिमिटिड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

"कम्पनी अधिनियम 1956 और गुरुरामदास फाईनेन्सियर्श एन्ड चिट फन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर, दिनाँक 27 जून 1979

स० जी० स्टेट/560/3133/2504—कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि गुरु राम दास फाईनेन्सियर्श एन्ड चिट फन्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

"कम्पनी अधिनियम 1956 और मलिक लकी स्कीम एन्ड फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जालधर, दिनांक 3 जुलाई 1979

सं० जी० स्टेट/560/2798/ —कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मालिक लकी स्कीम एण्ड फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

सत्य प्रकाश तायल
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और ट्रेडकेमिकल एण्ड एडहेसिव कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पटना , दिनांक 27 जून 1979

सं० (842) 4/560/78-79/1231—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ट्रेड केमिकल एण्ड एडहेसिव कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिदियम, 1956 और रायसाहब एस० अरोस एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

पटना, दिनांक 30 जून 1979

सं० (268) 3/560 78-79/1265—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसार एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर राय साहब एस० अरोरा एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी ।

पी० के० चटर्जी
कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार पटना

कम्पनी अधिनियम, 1956 और हिन्दुस्तान ट्रावल्स एण्ड पवर मिल्स लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास, दिनांक 28 जून 1979

सं० 3709/560 (5)/79—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-

द्वारा सूचना दी जाती है कि हिन्दुस्तान ट्रावल्स एण्ड पवर मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और वेणणिला ट्रान्सपोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 28 जून 1979

सं० 3727/560 (3)/79—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर वेणणिला ट्रान्सपोर्टिस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्णित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और टी० बी० एन० बस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 28 जून 1979

सं० 4404/560 (3)/79 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण म एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर टी० बी० एन० बस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सी० अच्युतन,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और बालकृष्ण शाह एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर, दिनांक 29 जून 1979

सं० 239/टेक/1593—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैं० बालकृष्ण शाह एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड काम नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्णित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जावेगी।

कम्पनी अधियिम, 1956 और मेसर्ज कन्डोई एन्ड सराफ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

ग्वालिगर, दिनांक 29 जून 1979

सं० 722 टेक/1594—कम्पनी अधिनियम, 1956 की की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि मे० कन्डोई एन्ड सराफ प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

सुरेन्द्र कुमार सक्सेना
कम्पनी रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 3जुलाई 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु/III/7-79/356—यतः मुझ, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 6711 ब्लाक 9-बी है, तथा जो देवनगर करोल बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6 अक्टूबर, 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती मनिन्दर कौर पत्नि सरदार निर्मल सिंह निवासी 6711 ब्लॉक 9- बी देव नगर करोल बाग नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री सीताराम पुत्र श्री ओमकार मल निवासी मकान नं० 6711 ब्लाक 9-बी०, देव नगर करोल बाग नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला पक्का बना मकान म्युनिसिपल नं० 6711 वार्ड नं० 16 जो लीजहोल्ड प्लाट नं० 20 खसरा नं० 279/152 पर बना है, ब्लाक 9-बी क्षेत्रफल 77 वर्ग गज है गली नं० 8, प्यारेलाल रोड करोल बाग नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : प्यारे लाल रोड
दक्षिण : गली नं० 8
पूर्व : मकान नं० 6712
पश्चिम : मकान नं० 6710

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1 ।

तारीख: 3-7-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1
नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 1979

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०-III/7-79/358—अतः मुझे, डी० पी० गोयल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० सी-58, है तथा जो शिवाजी पार्क रोहतक रोड नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9-10-1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी पार या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमति सुशीला कुमारी पत्नि श्री देवराज अरोड़ा निवासी सी०-58, शिवाजी पार्क रोहतक रोड, नई दिल्ली । (अन्तरक)

(2) श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री रामसिंह जैन निवासी मकान नं० 3361, त्रीनगर नई दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जिसमें दो बैड रूमस, एक ड्राईंग व डाइनिंग एक गैरेज, एक रसोई, एक डब्ल्यु सी० व एक लैट्रिन कम बाथ रूम जो प्लाट नं० सी०-58 क्षेत्रफल 418 वर्ग गज पर बना है कालोनी शिवाजी पार्क, रोहतक रोड, एरिया, गांव मादीपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : मकान नं० एच०-48/49
दक्षिण : सड़क
पूर्व : मकान नं० सी०-60
पश्चिम : मकान नं० सी०-56

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1 ।

तारीख : 3-7-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 3 जुलाई 1979

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०-III/7-79/357—अतः मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जे०-3/137 है तथा जो राजोरी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-10-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कावस एम० देसाई पुत्र श्री एम० सी० देसाई निवासी जे-3/137, राजोरी गार्डन नई दिल्ली इनके जनरल अटोरनी श्रीमति मेहरू मानक देसाई। (अन्तरक)

(2) श्रीमति नीलम खुल्लर पत्नि श्री एस० आर० खुल्लर निवासी जे०-3/137 राजोरी गार्डन, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जो की होल्ड प्लाट नं० 137 ब्लाक जे० क्षेत्रफल 160 वर्ग गज पर बना है राजोरी गार्डन एरिया गांव ततारपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : लॉन

दक्षिण : मकान नं० जे०-3/136

पूर्व : सर्विस रोड

पश्चिम : सर्विस लेन

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज III, दिल्ली, नई दिल्ली-1।

तारीख : 3-7-1979

मोहर :

परूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III, दिल्ली-1

नई दिल्ली दिनांक 3 जुलाई 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/7-79/359—अतः मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एस०-15 है तथा जो अजय इन्कलेव, गांव तिहार नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री फकीर चन्द पुरी पुत्र श्री केशो नाथ पुरी निवासी आर० 8, इन्द्रा मार्किट सब्जी मण्डी, दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री जगदीश लाल तलवार पुत्र श्री राम रखा मल व उनके पुत्र श्री भारत भूषण तलवार निवासी डी० वी० अजय इन्कलेव नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० एस०/15 खसरा नं० 301/1 अजय इन्कलेव कालोनी गांव तिहार दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है।

उत्तर : प्लाट नं० एस०/14
दक्षिण : प्लाट नं० एस०/16
पूर्व : सर्विस लेन
पश्चिम : सर्विस लेन

डी० पी. गोयल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज- , दिल्ली, नई दिल्ली-1।

तारीख : 3-7-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III, दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 3 जुलाई 1979

निदेश सं० आई०ए० सी०/एक्यू०-III/7-79/360—अतः मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एफ०-26 है तथा जो ग्रीन पार्क नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तारीख 28-11-1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सरवन सिंह पुत्र मिनहान सिंह निवासी सी-3/4 राना प्रताप बाग नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री सतीश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश नायर निवासी आर०-8 ग्रीन पार्क नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला रिहायशी मकान जो फ्रीहोल्ड प्लाट नं० 26 ब्लाक एफ क्षेत्रफल 327 वर्ग गज पर बना है ग्रीन पार्क नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : प्लाट नं० एफ-25

दक्षिण : प्लाट नं० एफ-27

पूर्व : सड़क

पश्चिम : प्लाट नं० एफ-59

डी० पी० गोयल,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1।

तारीख : 3-7-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-III/7-79/361—अत: मुझे, डी० पी० गोयल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति; जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ए०-7 है तथा जो इन्द्रपुरी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1608 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13-11-1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वेद प्रकाश बक्शी ए-112, इन्द्रपुरी नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बदामी देवी (2) चरन सिंह (3) कमल-कुमार (4) मंगल सिंह (5) विनोद कुमार निवासी 6125 नबी करीम नई दिल्ली।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक डेढ़ मंजिला मकान नं० ए०-7, क्षेत्रफल 207 1/2 वर्गगज, इन्द्रपुरी नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

उत्तर: लेन 10 फुट

दक्षिण: सड़क 30 फुट

पूर्व: सड़क 40 फुट

पश्चिम: मकान नं० ए०-8

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज III, दिल्ली, नई दिल्ली-1।

तारीख: 3-7-76

मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 1979

निदेश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰ /एक्यू॰-I/एस॰आर॰-III/10-78/731—अतः मुझे, अंजनी ओजा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या कास्तकारी जमीन है तथा जो गांव सुलतान पुर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-10-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) कुमरानी जया राज्य लक्ष्मी शाह पत्नि ले॰ कर्नल महाराज कुमार सार्दुल बिक्रम शाह व कुनवारानी महिमाशाह पत्नि श्री राजकुमार सागर बिक्रम शाह इनके अटॉरिनी राजकुमार सागर बिक्रम शाह पुत्र श्री महाराज कुमार सार्दूल बिक्रम शाह, 17 पुर्वी मार्ग नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमति सुमन बंसीलाल पत्नि श्री बंसीलाल निवासी एफ-18, एन॰ डी॰ एस॰ ई॰ पार्ट-I नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कास्तकारी जमीन 23 बीघा 5 बिस्वा जिनके खसरा नं॰ नीचे दिये हैं ट्यूबवैल व फेंसींग वायरस के साथ है।

खसरा नं॰	एरिया
96/2	(1–0)
78/2	(1–0)
6	(4–16)
12	(4–16)
22	(4–16)
96/26	(2–1)
78/19	(4–16)

जो गांव महरौली में स्थित है।

अंजनी ओजा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1।

तारीख : 3-7-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1,

दिल्ली-1, तारीख 5 जुलाई 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-I/एस० आर०-III/10-78/697—अतः मुझे, अंजनी ओजा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 23 है तथा जो सेंट्रल लेन (बंगाली मार्किट) नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-10-1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री मोहिन्दर प्रशाद जैन पुत्र स्वर्गीय श्री महाबीर प्रशाद जैन निवासी 25 सट्रल लेन नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) श्री अरुण कुमार (2) अनील कुमार (3) रविन्दर कुमार पुत्रान स्वर्गीय श्री गंगा प्रशाद (4) श्रीमती राज लक्ष्मी पत्नि श्री विष्णु कुमार निवासी 1688, गली पराठे वाली चान्दनी चौक दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान नं० 23 सैंट्रल लेन जो 300 वर्ग गज के प्लाट पर बना है, ब्लाक 205-सी० प्लाट नं० 60 है बंगाली मार्किट नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : 25 सैंट्रल लेन नई दिल्ली
दक्षिण : 21 सैंट्रल लेन नई दिल्ली
पूर्व : सड़क
पश्चिम : खेल का मैदान

अंजनी ओजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 5-7-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I,

दिल्ली-I, तारीख 4 जुलाई 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-I/एस० आर०- /11-78/785—अतः मुझे, अंजनी ओजा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 91 है तथा जो नेशनल पार्क लाजपत नगर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-11-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राजेश्वर कपूर पुत्र श्री केशवा नन्द निवासी 35-ए०, निजामुद्दीन पूर्व नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्रीमति सुशीला रानी पत्नि श्री डी० पी० सिंह निवासी 1, नेशनल पार्क नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त-सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट जिसका नं० 91, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है, नेशनल पार्क, लाजपत नगर में नई दिल्ली में स्थित है।

अंजनी ओजा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 4-7-1979
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एस०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1

तारीख 4 जुलाई 1979

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०-I/एस० आर०-/III 10-78/696—अतः मुझे, अंजनी ओजा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 76 (दूकान) है तथा जो भगत सिंह मार्किट नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 9-10-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रामनाथ पुत्र श्री अनन्त राम निवासी इ-160, बी० के० दत्ता कालोनी नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री रोशनलाल खाडपुर पुत्र श्री हरबन्स सिंह खांडपुर निवासी क्यू०-49, डी० एस० लाजपत-नगर, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक सरकारी बनी दूकान नं० 76 क्षेत्रफल 399 वर्गफुट 2/3 ग्राउण्ड फ्लोर की दूकान व 1/3 पहली मंजिल का फ्लैट, भगतसिंह मार्किट नई दिल्ली में स्थित है।

अंजनी ओजा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 4-7-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 28 जून 1979

निदेश सं० ए० आर०-III/ए० पी० 302/79-80—अतः मुझे, वी० एस० शेषाद्रि

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या सी० टी० एस० 853, 853/1, 853/2, 853/3, 853/6 है तथा जो मरोल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) अधीन, तारीख 22-12-1979 (विलेख सं० स० 1033/78) को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नील जॉन फ्राइडो (2) डायल अंथनी फ्राइडो (3) विनस्टन जोसेफ फ्राइडो (4) कोलिन व्हीक्टर फ्राइडो (5) अंसटोर थॉमस फ्राइडो (अन्तरक)

2. मेसर्स एल० एल० बिल्डर्स (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख सं० 103/78 बम्बई उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 22-12-78 को रजिस्टर्ड किया गया है।

व्ही० एस० शेषाद्री,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बम्बई।

दिनांक : 28-6-1979
मोहर :

प्रारूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 29 जून 1979

निदेश सं॰ ए॰ आर॰ 4/864/79-80——अतः मुझे, व्ही॰ एस॰ शेषाद्री,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है
और जिसकी सं॰ सर्वे नं॰ 74 अंश सी॰ टी॰ एस॰ 564 है तथा जो मुलुंड गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4-12-1978 (विलेख सं॰ सं॰ 1434/78) को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लक्ष्मण मारया भोर, आनंदीबाई लक्ष्मण भोर (अन्तरक)

(2) श्री बेधोसत्वा आंबेडकर को॰ हाउसींग सोसायटी लि॰ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख सं॰ 1434/78 बम्बई उप-रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 4-12-78 को रजिस्टर किया गया है।

व्ही॰ एस॰ शेषाद्री,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बम्बई।

दिनांक : 29-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 फरवरी 1979

निदेश सं० 41/ ओ० मा० पी०/78—अतः मुझे, ओ० आनन्दराम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है, जो नागरकोविल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नागरकोविल (डाकू० सं० 3654/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-10-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री जेसूदास (अन्तरक)

(2) मानाम टेक्सटाइल्स (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

64 सेंट भूमि और घर, नागरकोविल में।

ओ० आनन्दराम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास।

दिनांक : 1-2-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 मार्च 1979

निदेश सं० 44/ ओ० मो० टो०/78—यतः, मुझे, ओ० आनन्दराम,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० डोर सं० 1 है, जो कासी मेस्ट्री स्ट्रीट, दरमपुरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ओ०, दरमपुरी वेस्ट (डाक० सं० 1087/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-10-78 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री डी० के० अभिराज और अदर्स (अन्तरक)

(2) श्री ए० पी० पलनीयप्प चेट्टियार (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और घर, डोर सं० 1, कासी मेस्ट्री स्ट्रीट, दरमपुरी में।

ओ० आनन्दराम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास।

तारीख : 2-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 अप्रैल 1979

निदेश सं० 13/अक्टू०/78——अतः मुझे, ओ० आनन्दराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 186 है, जो देवांगर स्ट्रीट, पलनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० ओ० I, पलनी (डाक० सं० 1308/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-10-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० सौरीराजुलु चेट्टीयार (अन्तरक)

(2) श्री जनाबा मेहबूब नीवा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और घर, डोर सं० 186, देवांगर स्ट्रीट, पलनी में।

ओ० आनन्दराम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास।

तारीख : 20-4-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 मई 1979

निदेश सं० 10/अक्टू०/78—यतः मुझे, ओ० आनन्दराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 49-एच०-1 है जो होल्ड बरिमल ग्राण्ड रोड डिण्डुगल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-III डिण्डुगल (डाक० 1662/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 31-10-78 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री आर० सुन्दरेसन (अन्तरक)

(2) श्री पी० एन० आरुमुगम अंसारी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नं० 9, होल्ड बरिमल ग्राण्ड रोड, डिण्डुगल।

ओ० आनन्दराम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास।

तारीख : 7-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, तारीख 20-5-1979

निदेश सं० 35/अक्तु०/78—यतः मुझे, ओ० आनन्दराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 129, 130 और 131 अंगप्पानायकन स्ट्रीट मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-I मद्रास नार्थ (4060/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15 अक्टूबर, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री मदन मोहन जी मन्दिर ट्रस्ट

(अन्तरक)

(2) (1) सर्वश्री ए० एम० ईदरीस (2) ए० जी० अताल्ला (3) ए० जी० लकमन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 129, 130, और 131 अंगप्पानायकन स्ट्रीट मद्रास-I

ओ० आनन्दराम
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास।

तारीख : 20-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, तारीख 20-5-1979

निदेश सं॰ 40/ग्रोक्टो॰/78——यतः मुझे, ओ॰ आनन्दराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ 11, मिल्लरस रोड कीलपाक मद्रास-10 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे॰ एस॰ आर॰ओ॰-II मद्रास नार्थ (4278/78) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:——

(1) श्री नेसमणि डेनियल जोस फार अमला बंगारू (अन्तरक)

(2) (1) तर्मराज मोचम फरनन्डे (2) डेनिलडस निमल फरनन्डो (3) फांसिस न्यूटन फरनन्डो (4) बरनार्ड नवीन फरनन्डो (5) फांसिस किस फरन्डो (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण नं॰ 10, मिल्लर रोड, किलपाक, मद्रास-10

ओ॰ आनन्दराम
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास।

तारीख : 20-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 मई 1979

निर्देश सं० 21/अक्तो०/78—यतः मुझे, ओ० आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 223, 224, 225 और 226 सेलम रोड़, तिरूचंगोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ओ० तिरुचंगोड (1409/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक से रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. (1) श्री सी० लक्ष्मीयामाल
   (2) श्री सी० रवीचन्द्रन
   (3) श्री सी० विजयकुमार
   (4) श्रीमती जयंती

   (अन्तरक)

2. (1) श्री आर० लोगनाथन
   (2) श्री आर० स्वामिनाथन
   (3) श्री आर० रघुनाथन

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

निर्माण डोर सं० 223, 224, 225 और 226 सेलम रोड़, तिरूचंगोड।

ओ० आनंदराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 24-5-79

मोहर।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 मई 1979

निर्देश सं० 9/अक्तू/78—यत मुझे, ओ० आनंदराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 173 और 174 है जो बंगलो स्ट्रीट तिरूचंगोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ओ० तिरूचंगोड (1453/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री एम० आर० राजन (अन्तरक)

(2) श्री टी० आर० कुमारराजा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

निर्माण डोर नं० 173 और 174 बंगलो स्ट्रीट तिरूचंगोड

ओ० आनंदराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख 26-5-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 मई 1979

निर्देश सं० 19/अक्टू/78—यतः मुझे, ओ० आनंदाराम **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम** प्राधिकारी को यह **विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,** जिसका उचित बाजार मूल्य **25,000/- रु० से अधिक है**

और जिसकी सं० आर० एस० 253/2ए 1ए तिरूपरनकुडरम गांव तिरूपरन्गुनरम पंचायत मदुरै डिस्ट्रिक्त में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ओ० मदुरै (1041/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीनियम तारीख अक्तूबर 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन अर्थात्:—

1. (1) श्रीमती राधा लाजपति
   (2) श्रीमती वी० आर० विमालक्ष्मी के मार्फत रवि एंड कम्पनी, मदुरै।

(अन्तरक)

2. (1) श्री के० एन० के० एम० केएन सोक्कलिन्गम चेतियार
   (2) श्रीमती के० एन० एम० मीनाक्षी आची

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में तिहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और फैक्टरी निर्माण आर० एस० नं० 253/2ए 1ए तिरूपरन्कुडरम गांव तिरूपरन्कुडरम पंचायत मदुरै डिस्ट्रीक्ट

ओ० आनंदराम
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख : 26-5-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 मई 1979

निर्देश सं० 3/ अक्टूबर/78—यतः मुझे ओ० आनंदराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 73/4 डी एक पी० एन० पट्टी मेट्टूर डेम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ओ० मेचेरी (डोक्यू० नं० 1802/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर 1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती वल्ली अम्माल

(अन्तरक)

(2) लक्ष्मी थियेटर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डी०ओ०सी० नं० 1802/78

भूमि और थियेटर बिलडिंग एस० नं० 73/4 डी० एक पी० एन० पट्टी मेट्टूर डेम सेलम डिस्ट्रिक्ट।

ओ० आनंदराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 29-5-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास कार्यालय

मद्रास, दिनांक 31 मई 1979

निर्देश सं० 17/अक्टूबर/78—यतः मुझे ओ० आनंदराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 8, बेसन्त रोड, सोक्कीकुलम मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० 1, मदुरै (डाक नं० 3844/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सरस्वती अम्माल (अन्तरक)

2. (1) श्री एस० चिदम्बर नाडार
(2) श्री सिवसुब्रमनियम
(3) श्री सुरेश और
(4) श्री आनंद (नाबालिग) (अन्तरिति)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकुमेन्ट नं० 3844/78-जे० एस० आर०-1, मदुरै भूमि और निर्माण डोर नं० 8, बेसन्त रोड, सोक्कीकुलम, मदुरै।

ओ० आनंदराम,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख: 31-5-1979
मोहर :

प्रारूप आई०टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 31 मई 1979

निर्देश सं० 24/अक्तूबर/78—यतः मुझे ओ० आनंदराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 587/4, 589/9, 589/6 और 589/1 अग्रीकलचरल भूमि, अम्पमपालमम गांव डिन्डुगल तालुक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जे० एस० आर० I, डिन्डगल (डाक 548/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री मोहम्मद सलीक
   (2) श्री शाहुक अमीद
   (3) श्री अब्दुल करीम
   (4) श्री अब्दुल मजित
   (5) श्री अबुबकर
   (6) श्री सिकन्दर।

(अन्तरक)

2. श्री नेना मोहम्मद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

डाकुमेन्ट नं० 547/78 जे० एस० आर० i, डिन्डुगल अग्रीकल्चुरल भूमि सर्वे नं० 589/4, 589/3, 589/6, 589/1 अमयमालमम गांव डिन्डुगल तालुक।

ओ० आनंदराम,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 31-5-79
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 14 जून 1979

निर्देश सं० 11/अक्तूबर/78—यतः मुझे ओ० आनंदराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 70, तमिल सन्नाम रोड मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० आर० ओ० पुतुमन्डपम (डाकु० 1861/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन ननिम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० एम० वेंकटेस्वरन

(अन्तरक)

(2) (1) श्रीमती ए० डी० जया
(2) श्री ए० डी० जे० इरमाम्बाल
(3) श्री ए० डी० जे० प्रेमा
(4) श्री ए० डी० ससिकला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकुमेन्ट सं० 1861/78 भूमि और निर्माण डोर नं० 70 तमिल सन्नाम रोड मदुरै।

ओ० आनंदराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 14-6-79
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 जून 1979

निर्देश सं० 25/अक्तूबर/78—यतः मुझे ओ० आनंदराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5, जनरल कालिन्स रोड़ मद्रास-7 में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ओ० पेरीसमेट (डाकू० न० 1073/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त, संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री अन्तोनी केसत कोल्ली
   (2) एस० ए० पी० आलवारस।
   (3) श्रीमती मेरी पेटरीनिमा कोवन

   (अन्तरक)

2. (1) श्री पी० कान्तीलाल जैन
   (2) श्री एस० सुरेश कुमार
   (3) श्रीमती एस० शान्ता डे
   (4) श्रीमती एम० गोदावरी ब

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकुमन्ट न० 1073/78 एस० आर० ओ० परमिमेट भूमि और निर्माण
डोर न० 5 जनरल कालिन्स रोड़ मद्रास-7।

ओ० आनंदराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास

तारीख : 15-6-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 जून 1979

निर्देश सं० 46/अक्तूबर/78—यतः मुझे ओ० आनंदराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 211 अंगप्पनामकन स्ट्रीट है जो मद्रास-I में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ए० एस० आर० ओ० नार्थ मद्रास (डाक नं० 3950/78) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती मोहम्मत आमिशा बीवि

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ए० एस० सैयद ओवरा बीबी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकुमेन्ट नं० 3950/78 एस० आर० ओ० नार्थ मद्रास, भूमि और निर्माण डोर नं० 211, अगंप्पनामकन स्ट्रीट, मद्रास-I।

ओ० आनंदराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख: 15-6-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 22 जून 1979

निर्देश सं० 6721—यत: मुझे, राधा बालकृष्णं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 39 है तथा जो, सूरप्प मदली स्ट्रीट, मद्रास-5 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास नारत (डाकुमेंटस सं० 749/78) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती एस सुसीला अम्माल और एम० समबनतम चेट्टी (अन्तरक)

(2) श्री के० जमाल मोहीदीन, जे० जेनामबी बीवी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 39 सूरप्प मुदली स्ट्रीट मद्रास-5 (डाकूमेंट सं० 749/78)।

राधा बालकृष्ण
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II मद्रास

तारीख : 22-6-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 22 जून 1970

निर्देश सं० 6766—यतः, मुझे, राधा बाल कृष्णन् आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269—ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 20 है, तथा जो बजनै कोविल स्ट्रीट, नंदमपाक्कम, मद्रास-89 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मद्रास नार्थ (डाकूमेंट सं० 4621/78) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने का उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती वी० सीतालक्ष्मी
   श्रीमती एन० कल्याणी
   (अन्तरक)
2. श्रीमती प्रभा चक्रवर्ती
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 20, बजनै कोविल स्ट्रीट, नंदमपाक्कम मद्रास-89 ।

(डाकुमेंट सं० 4261/78)

राधा बालकृष्णन्
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 22-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 22 जून 1979

निर्देश सं० 6615—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 9-बी, राठवरठ रल्लियटस है, तथा जो रोड, मद्रास-4 में स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर (डाकूमेंट सं० 1421/78) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978 में

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ई० के० पारथासारथी
   श्री संजय पारथासारथी
   (अन्तरक)
2. डाक्टर, वरधराजन
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 9-बी, राठवरठ रल्लियटस रोड, मद्रास-4 ।
(डाकूमेंट सं० 1421/78) ।

राधा बाल कृष्णन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख 22-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 22 जून 1979

निर्देश सं॰ 8401—यतः मुझे, राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है और जिसकी सं॰ आर॰ एस॰ सं॰ 54.5, 54.6 और 54.7 है, तथा जो करुपूर ग्राम, नंनिलम तालुक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तिरुवारूर (डाकूमेंट सं॰ 2229/78 के अधीन, अक्तूबर 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आर॰ एम॰ एस॰ रामनाथन चेट्टियार

(अन्तरक)

2. श्री टी॰ नटराजन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण आर॰ एस॰ सं॰ 54.5 54.6, 54.7 करुपूर ग्राम, नंनिलम तालुक।

(डाकूमेंट सं॰ 2229/78)।

राधा बालकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 22-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 13 जून 1979

निर्देश सं० जे०-57/79-80---यतः, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 11--5--404 है, तथा जो रेडहील्स-हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. डाक्टर फिरोज हुमैन 11--5--404 रेड-हील्स हैदराबाद (अन्तरक)

2. डाक्टर जवाद हुमैन पिता मुस्तानसर अली जिसका अटिपती मुस्तानसर अली है 11--5--404 रेड हील्स हैदराबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण ।—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

घर नं० 11--5--404 रेड हील्स हैदराबाद में है बस्ती नं० 1087 वर्ग मीटर है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3886/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 13 जून 1979

निर्देश सं० जे०/58/79-80—यतः, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2-24 है, तथा जो णीवुनीपल्ले गाउ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वरनगल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 17) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री पीकला धेन्द्रय्या इपागुडेम गाउ जनगाऊ तालूक वरनगल—जिला

(अन्तरक)

2. श्री पारसी शंकर राउ पिता लीनगय्या णीवुनीपले राऊ तालूक वरनगल—जिला

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० ग्राम पचायत नं० 2-24 णीवुनीपल्ली गाऊ वरनगल—जिला रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4105/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय वरनगल में ।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त कार्यालय
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 जून 1970

निर्देश सं० जे०-59/79-80—यतः, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी म० 5-9-24/82 है, तथा जो लेक हील्स रास्ता हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मैसर्स फिरदौस घर नं० 5-9-240/82 लोक हील्स रास्ता हैदराबाद

(अन्तरक)

2. हैदराबाद दीन होटल्स प्राइवेट 5-9-24/82 लेक हील्स रास्ता हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 5-9-24/82 कहा जाता है हैदराबाद ईन होटल्स लेक हील्स रास्ता हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4445/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 जून 1979

निर्देश सं० आर ए सी 60/79-80—यतः, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 15—1—503/बी/29 है, तथा जो अशोक मारकीट हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दूदबौली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19 अक्तूबर 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मैसर्स भारत कंस्ट्रक्शन कम्पनी घर नं० 15—1—503 सीदीयंबर बजार हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्री कनक दोशी पिता रती लाल दोशी घर नं० 15—1—503/B/29 अशोक मारकीट, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

आफिस नं० 15—1—503/बी/29 दो मंजिला सतह पर अशोक मारकीट सीदीयंबर बाजार हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1219/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय दूदबौली ।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 जून 1979

निर्देश सं० आर ए सी 61/79-80—यतः, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० पोर्ट नं० 9-1-155 और 156 सेबासटीयन रास्ता सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19 अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 की 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती विजया लक्ष्मी राघवन घर नं० 40-बी सेबासटीयन रास्ता सिकन्दराबाद ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती राज कपूर घर नं० (18-ए ईस्ट मरिडपली) (घर नं० 9-1-155 और 156 सेबासटीयन रास्ता) सिकन्दराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

घर नं० 9-1-155 और 156 , सेबासटीयन रास्ता, सिकन्दराबाद का विभाग है—रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2586/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय, सिकन्दराबाद में ।

के० एस० वेंकट रामन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 जून 1979

सं० आर ए सी 62/79-80—यत: मुझे के० एस० वेंकटरामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी पोर्ट सं० 9–1–155 और 156 है, जो सेबास्टीयन रास्ता स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्द्राबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्तूबर 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा, 269 ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1), अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) श्रीमती विजयलक्ष्मी राघवन घर नं० 40-बी सेबासटीयन मार्ग सीकन्द्राबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती लीलाधुना घर नं० 40-ए में सेबासटीयन मार्ग सीकन्द्राबाद ।

(अन्तरिती)

(3) श्री रवीकुमार औहोरी 9–1–155 सेबास्टीयन मार्ग सिकन्द्राबाद । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

घर नं० 9–1–155 और 156 का बीयारा है जो सेबासटीयन मार्ग सिकन्द्राबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2587/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय सीकन्द्राबाद में ।

के० एस वेंकटरामन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-6-1979

मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद तारीख 13 जून 1979

सं० आर ए सी 63/79-80——यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० मलगी नं० 7 घर में, जो 22-7-269/3 दीवानदेवडी में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आजमपुरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19 अक्टूबर 78 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मैसर्स शाह बील्डर्स 22-7-269/3 दीवान देवडी हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) अब्दुल सत्तार पुत्र मुहम्मद ईब्राहिम इंडीया टेलर द्वारा मदीना मारकीट दीवानदेवडी हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 7 मकान नं० 22-7-269/3 दीवानदेवडी सलारजंग मारकीट, हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2940/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय आजमपुरा में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 13 जून 1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एस० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 13 जून 1979

सं०आरए सी 64/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 12/743, 12/744 है, जो एस०-बी-एन० रास्ता वारंगल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वारंगल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्टूबर 78 में

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अडिपु वेनकटाद्री पिता वेनकटरमनय्या — वारंगल (2) डी सुवर्ना लक्ष्मी वारंगल।

(अन्तरक)

(2) श्री तुम्मा कोटेश्वरराऊ पिता वीरास्वामी (2) तुम्मा उपेन्द्रम्मा पत्नी जगनादम घर नं० 12/744-वारंगल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर-नं०-12/743, 12/744, एस-बी एन० रास्ता वारंगल रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3988/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय वारंगल में

के० एस वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद : 13 जून 1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 जून 1979

सं० आर ए सी 65/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन नं० 141, 142, 143 है, जो शेखपेट गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16). के अधीन अक्टूबर 78

में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मीरकीफायत अली खान 9-4-86 शेखपेट मुनीर बाग हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) दी-ओरीयल को आपरेटिव सोसायटी लि० 3-5-804/2/3 हैदरगुडा हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन सरवे नं० 141, 142, और 143 घर नं० 9-4-86 शेकपेट गांव हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज़ नं० 2730/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय खैरताबाद में ।

के० एस वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13 जून 1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 जून 1979

सं० आर ए सी 66/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० बी-एफ०-5 है, जो पुनमअपार्टमेंट चिरंगाली हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्टूबर 78 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री भगवती प्रसाद पिता मातादीन घर नं० 3-5 170/ए०/9 नारायन गुडा, हैदराबाद ।
(अन्तरक)

(2) श्री यु० कुपुस्वामी घर नं० 1; 8-702/31/2 नालाकुनटा, हैदराबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० बी० 1/एफ० 5 तीसरी मंजील पर घर नं० 5-8-512 से 517 सी चीरंगली लेन हैदराबाद (पुनम अपारटमेनट) रजीस्ट्री दस्तावेज नं० 4662/78 उप रजीस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13 जून 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 जून 1979

सं० आर ए सी 67/79-80—यतः, मुझे, के० एस वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1 और 2 पहली मंजिल का घर 5-8-518-519 चौरंगली लेन हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्टूबर 78 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त के अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती तारामनी पत्नी गोरीराज गोयल जी पी ए० होल्डर नं० 5-3-1053 शनकरबाग असमान गंज हैदराबाद। (अन्तरक)

(2) श्रीमती शरादाबाई पत्नी बाला परशाद घर नं० 5-9-5 सैफाबाद, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आफिस नं० 1 और 2 प्रामीसेस नं० 5-8-518 और 519 जगदीश मार्केट चौरंगली लेन हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4590/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-6-1979
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, तारीख 16 जून 1979

नं० 68/79-80 ——यतः मुझे, के० एस० वेंकटरामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3–5–783/22 है, जो कीनगकोटी हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्तूबर 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) श्री के० बाहमी नारायण 5–9–194/2 धीरागलि लैन हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कलीद बेगम पत्नी अलीबीन साले 23–8 367 शलीबनडा हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्रोमीसीस नं० 3–5–783/22 कीनगकोटी रास्ता हैदराबाद वीस्तीन 296 वर्ग यार्ड दस्तावेज नं 4583/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकटरमन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16–6–79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

सं० 69/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 6-3-674/1 है, जो पंजागुट्टा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री प्रेमजी लालजी पुत्र श्री लालजी मेघजी पंजागुट्टा हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री विजयाअनन्द मदुरी पुत्र श्री राजेशवर 6-3 674/1 पंजागुट्टा हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कुल जमीन घर नं० 6-3-674/1 वीस्तीन 800 है) यार्ड बेरामपेट पंजागुट्टा हैदराबाद में रजीस्ट्री दस्तावेज नं० 4573/78 अप रजीस्ट्री कार्यालय हैदराबाद।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज हैदराबाद

तारीख : 16-6-1979

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० 70/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकट-रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 6-3-674/1 है, जो पंजागुट्टा हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रेमजी लालजी पिता लालजीभेघजी पंजागुट्टा हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री मदुरी राजेश्वर पिता स्वर्गीय कृष्णय्या घर नं० 8-2-416 बनजारा हिल्स हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस आयकर में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन और घर नं० 6-3-674/1 बेगमपेट रास्ता के पास में हैदराबाद विस्तेन 1093/वर्गयार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4698/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० 71/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 8-3-933 है, जो श्रीनगर कालोनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री पी० नारायन राउ घर नं० 8-3-933 प्लाट नं० 7 श्रीनगर कालोनी हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री एस० राघवन अमृत निवास घर के पिछे बैंक गली हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 8-3-933 प्लाट नं० 7 श्रीनगर कालोनी हैदराबाद रजिस्ट्री कार्यालय और दस्तावेज नं० 2809/78 और कैरताबाद में।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून, 1979

निर्देश सं० 72/79-80——यतः मुझे के० एम० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० खेती योग्य जमीन सर्वे नं० 15 है, जो साहिबनगर गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री करवारंगय्या पिता अमय्या निवासी गादिया नारक जी० पी० ए० पोचगरी मलय्या घर नं० 16-11-739 गडीअन्नारम हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जी० बी० पूरनथ्या 1-8-80/3 चिक्कड़पल्ली हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली मीन विस्तीर्ण 5 एकड़ सर्वे नं० 15 में है साहिबनगर कुर्द हैदराबाद ईस्ट रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 6185/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद ईस्ट।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० 73/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 5-9-161, 160/3, 160/4, है, जो चापल रास्ता हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर 1978 में

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. (1) श्री सुलतान हुसैन बीन उमर
   (2) श्रीमती सुलतान जहान बैगम पत्नी उमरबीन
   (3) श्रीमती कमर खान बैगम पत्नी खानअरीफ खान घर नं० 5-9-161 चापल रास्ता नामपल्ली हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सीताजैसिंह पत्नी पी० जी० जैसिंह प्लाट नं० 1 बंसीलालपेट सिकन्द्राबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला घर और खुली जमीन मलगीया नं० 5-9-161, 160/3, 160/4, चापल रास्ता नामपल्ली हैदराबाद में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4188/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून, 1979

निर्देश सं० 74/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5-3-24 है, जो जीरा सिकन्द्राबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्द्राबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर 1978 में

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती ए०० मीनाक्षी पत्नी एस नारायनस्वामी 5-3-25 जीरा सिकन्द्राबाद।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती हेमलता के० कोटक पत्नी किरन कुमार वी० कोटक

(2) श्रीमती राजानी एम० कोटक पत्नी महेन्द्रा कुमार वी० कोटक घर नं० 2-2-132 एम० जीरास्ता सिकन्द्राबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 5-3-25 जीरा में सिकन्द्राबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2660/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्द्राबाद।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6 79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० 75/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजारमूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 6-3-674/1 है, जो पंजागुटा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर 1978 में

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री प्रेम जी लालजी पिता लालजी मेघजी पनजागुटा हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री मधुसूदन माधुरी पिता स्वर्गीय नरसीम्मा राउ 6-3-674/1 बेगमपेट हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन विस्तीर्ण 1080 वर्ग गज नं० 6 3-674/1 बेगमपेट हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2788/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 16-6-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० 76/79-80—यत मुझे के० एस० वेंकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 3-6-545/1-2 है तथा जो हिमायत नगर हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्तूबर 1978 में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों), के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती के० विजयम्मा पति के० कृष्णारेड्डी 3-6-545/1 हिमायत नगर, हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्री फकीर चन्द पिता भगतराम बहादुर पुरा, हैदराबाद-2

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 3-6-545/1 और 2 हिमायत नगर हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4387/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख 16-6-1979
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० 77/79-80—यत मुझे के० एस० वेंकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 6-23-2259 है जो निजामाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय निजामाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्तूबर 1978 में

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) ओर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 की 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री बी० लिंगोजी पिता मरसोजी घर नं० 6-14-10 हयालवाड़ी निजामाबाद

(अन्तरक)

2. श्री सरदूल सिंग पिता राम सिंह कलीलवाडी निजामाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 6-23-2259 दुबा रास्ता निजामाबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 5521/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय निजामाबाद में।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० नं० 78/79-80—यतः मुझे, के० एम० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 6-3-674/1 है तथा जो पंजाकुट्टा हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्तूबर 1978

में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

1. श्री प्रेमजी लाल जी पिता लालजी मेघजी 6-3-673 पंजागुटा, हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्रीमती कलाविजया आनन्द 62-सी सरदार पटेल रास्ता सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन 6-3-674/1 वीस्तीर्न 1200 वर्ग यार्ड पंजागुटा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4515/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एम० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं॰ नं॰ 79/79-80—यतः, मुझे, के॰ एस॰ वेंकटरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं॰ 12-5-139, 142, 143 है तथा जो तारनाका सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मास्टर महेन्द्रनाथ बी॰ दीतीया अधिकारी बी॰ए॰ दीतीयाँ और मैसर्स दीतीया बनजारा हील्स, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. डाक्टर हरी किशन राऊ यधो राज 12-1-334 लालापेट, सिकन्दराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं॰ 12-5-139 143, 143 जमीन घर और मंजील 1994 वर्ग मीटर्स विजयापुरी तारनाका के पास सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं॰ 2518/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय, सिकन्दराबाद में।

के॰ एस॰ वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6-1979
मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० नं० 80/79-80—यतः मुझे, के० एस० वेंकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 15-1-503/ए/72 है तथा जो अशोक मार्केट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय छदबौली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

9—156GI/79

1. श्रीमती मुनीबाई पत्नी मोहन लाल, 15-2-403 अशोक मार्केट, हैदराबाद

(अन्तरक)

2. मैसर्स भारत कंस्ट्रक्शन कम्पनी 15-1-503 अशोक मार्केट, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मलकी नं० ए/72 जमीन का सतह पर घर नं० 15-1-503, अशोक मार्केट सीदीमबार बाजार हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1254/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय छदबौली में ।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० नं० 81/79-80—यतः मुझे, के० एस० वेंकटरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० 15–1–503/ए/73 है तथा जो सिदीयेम्बर बाजार हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हुदबौली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1978 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी मोहन लाल 15–2–403 सिदीयेम्बर बाजार, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2 मसर्स भारत कंस्ट्रक्शन कम्पनी 15–1–503 सिदीयेम्बर बाजार, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 15–1–503/ए/73 अशोक मार्किट सीदीयेम्बर बजार हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1269/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय, हुदबौली में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6-1979

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० 82/79-80---यतः, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 12-5-3/1 है, तथा जो गरनाका सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राज आनन्द राम पिता श्री अन्दराम 131--- "ऊशास" श्री नगर कालोनी, हैदराबाद।
(अन्तरक)

2. श्रीमती तुलसी देवी पती तुलसी राम 12-5-3/1 बतकम्मा कुंटा, सिकन्दराबाद।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सं० 12-5-3/1 बतकम्मा कुन्टा, सिकन्दराबाद वीस्तन 478 वर्ग यार्ड, रजिस्ट्री दस्तावेज सं० 2615/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में।

के० स० वेंकट राम
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 16-6-1979
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1979

निर्देश सं० नं० 83/79-80—यतः, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 15-1-503/ए/3 है, तथा जो अशोक मार्कीट हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दूदबोली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर 1979

में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) श्री भरत कुमार 21-1-773 पटल मार्कीट हैदराबाद
   (2) ईश्वर लाल 21-7-84/1 गंजी बजार हैदराबाद

(अन्तरक)

2. (1) श्रीमती मंगी बाई
   (2) श्री उदय कुमार (मैनर) रखवाला पिता श्री भरत कुमार 15-2-744 उसमानगंज हैदराबाद (अन्तरिती)

3. श्री गौरी शंकर सालटे, इंडस्ट्री हैदराबाद (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 15-1-503/ए/3 अशोक मार्कीट सदीयेम्बर बजार हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1270/78 उप रजिस्ट्री-कार्यालय दूदबोली हैदराबाद में।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज बिहार, पटना

पटना, दिनांक 2 अप्रैल 1979

निदेश सं० III-314/अर्जन/79-80—अतः, मुझे, ज्योतीन्द्र नाथ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) ,की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपय से अधिक है

और जिसकी सं० डीड सं० 6609 है, तथा जो होल्डिंग नम्बर 60/59 सर्किल नम्बर 15, वार्ड सं० 16 पटना म्यूनिसिपल कार्पोरेशन सब्जीबाग थाना पिखहौर पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-10-78 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्रीमती बीबी रविया खातुन पत्नी स्वर्गीय मिस्टर गुलाम बारीश, ऐकजीबिशन रोड, पटना (विजय बैंक के नजदीक) के निवासी।

(अन्तरक)

(2) श्री निहाल असरफ (नाबालिक) सुपुत्र श्री मुहम्मद असरफ, प्रो० पटना ग्लास हाउस, पटना-4 (दरजीटोला का निवासी)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5 से 6 खपड़ापोस कमरा, 3 कट्टे जमीन के रकबा पर जो होल्डिंग नम्बर 60/59 सर्किल नम्बर 15, वार्ड, नम्बर 16 जो महल्ला सब्जी बाग थाना पीरबहौर, जिला पटना तथा पटना म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के अन्तर्गत जो पूर्ण रूप से दस्तावेज संख्या 6609 दिनांक 26-10-78 में वर्णित है और जो जिला अवर निर्बन्धन पदाधिकारी पटना के द्वारा पंजीकृत है।

ज्योतीन्द्र नाथ,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 2-4-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 2 अप्रैल 1979

सं० 111-313/अर्जन/79-80—अतः मुझे, ज्योतिन्द्र नाथ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० डीड नं० 6608. होल्डिंग नम्बर 60/59 है, तथा जो सर्किल नम्बर 15, वार्ड नम्बर 16 पटना म्यूनिसिपल कार्पोरेशन सब्जीबाग थाना पोखहौर पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-10-78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त, अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती बीबी रबिया खातुन पत्नी स्वर्गीय मिस्टर गुलाम वारीश; ऐक्जीबीशन रोड, पटना (विजय बैंक के नजदीक) के निवासी ।

(अन्तरक)

(2) श्री अमल असरफ (नाबालिक) सुपुत्र श्री महम्मद असरफ, प्रो० पटना ग्लास हाउस, पटना-4 (दरजी टोला का निवासी) ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तीन पक्का एम० 3 कट्ठे जमीन के रकबा पर जो होल्डिंग नम्बर 60/59 सर्किल नम्बर 15, वार्ड नम्बर 16 जो महल्ला सब्जीबाग थाना पोखहौर जिला पटना तथा पटना म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के अन्तर्गत जो पूर्ण रूप से दस्तावेज संख्या 6608 दिनांक 26-10-78 में वर्णित है और जो जिला अवर निर्बन्धन पदाधिकारी पटना के द्वारा पंजीकृत है ।

ज्योतिन्द्र नाथ,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

दिनांक : 2-4-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बिहार पटना

पटना, दिनांक 8 जून, 1979

सं० III-321/अर्जन/79-80—अतः मुझे, ज्योतीन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० पुराना हो० नं० 88, सेंटलमेंट प्लाट नं० 158 देवघर नगर पालिका है, तथा जो मौजा पुरनदाहा, शहर देवघर जिला संथाल परगना में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देवघर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28-10-78 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रवीन्द्र नाथ मित्रा अतीन्द्र नाथ मित्रा, अरुधा मित्रा एवं अशोक मित्रा सा०-25, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता-9।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती किरण देवी सराफ जौजे श्री अभय कुमार सराफ सा०—वैद्यनाथ धाम, देवघर, जिला संथाल परगना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— सभी प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा करीब 18 1/2 कट्ठा (रोहीनी स्केल के अनुसार) है, जिसका प्लाट नं० 158, वार्ड नं० 12, होल्डिंग नं० 95 (नया) एवं 88 (पुराना) है जो देवघर नगरपालिका के अन्दर है। यह जमीन मौजा पुरनदाहा, देवघर जिला संथाल परगना में स्थित है। इसका निबंधन जिला अवर निबंधक, देवघर में हुआ है, जो दस्तावेज सं० 4328 दिनांक 28-10-78 में पूर्णतया वर्णित है।

ज्योतीन्द्र नाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार पटना,

तारीख : 8-6-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 8 जून 1979

सं० III-320/अर्जन /79-80—अतः मुझे, ज्योतीन्द्र नाथ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० पुराना हो० नं० 88 नया 95 वार्ड नं० 12 देवघर नगर पालिका है, तथा जो मौजा पुरनदाहा शहर देवघर में स्थित है (और इससे उपाबन्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देवघर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28-10-78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रथोन्द्र नाथ मित्रा, अतीन्द्र नाथ मित्रा, अभरा मित्रा एवं अशोक मित्रा, सा०-25, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता-9 ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती किरण देवी सराफ जौजे—श्री अभय कुमार सराफ सा० वैद्यनाथ धाम, देवघर जिला संथाल परगना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन का रकबा 7415 वर्ग फीट है, जिसके कुछ भाग एक मंजिला एवं कुछ भाग दो मंजिला है, इसे "दी रीट्रीट" से जाना जाता है, यह मौजा पुरनदाहा तिलक कुथीआगरा, देवघर जिला संथाल परगना में स्थित है। इसका होल्डिंग नं० 88 (पुराना), 95 (नया) वार्ड नं० 12 जो देवघर नगरपालिका में है। इसका पंजीयन जिला अवर निबंधक देवघर में हुआ है, यह पूर्णतया दस्तावेज सं० 2621 दिनांक 19-10-78 में वर्णित है।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 8-6-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 19 जून 1979

निदेश सं० 111-330/अर्जन/79-80/—अतः मुझे ज्योतीन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० तौजी नं० 227/15347, खाता नं० 342 एवं सर्वे प्लाट नं० 372 है, तथा जो मौजा मौलानाचक, महाल सादीकपुर योगी, पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 20-10-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम नारायण प्र० सिंह वल्द स्व० रामेश्वरी प्र०सिंह, साकिन चौधरी टोला, थाना—सुल्तानगंज, जिला—पटना, बहैसियत मोख्तार आम मिन जानीब श्रीमती शैल कुमारी देवी, जौजे, श्री नरेन्द्र नारायण शर्मा सा०-चौधरी टोला लगरनाथ सिंह लेन, थाना सुल्तानगंज, पटना (अन्तरक)

2. श्री अनिल कुमार सिन्हा वल्द श्री रामानुज प्रसाद सिंह सा०/पो०—महारा, थाना—बिहारशरीफ जिला—नालन्दा हाल, मोकाम "महारा हाउस", भिखनापहाड़ी, पटना। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का एक भाग जिसका रकबा 1 कट्टा, 1 धूर 3½ धुरकी करीब (1441 वर्ग फीट) जो दिवाल से घिरा है मौजा मौलाना चक महाल सादीकपुर योगी, थाना—करमकुआं, जिला—पटना में स्थित है। यह पूर्णतया दस्तावेज सं० 6485, दिनांक 20-10-78 में वर्णित है। इसका पंजीयन जिला अवर निबन्धक पटना में हुआ है।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 19-6-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 19 जून, 1979

निदेश सं० 111-329/अर्जन/79-80—अतः मुझे ज्योतीन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी नं० 227/15347, खाता नं० 342 है, सर्वे प्लाट नं० 372 है तथा जो मौजा मोलानाचक महाल सादीकपुर जोगी थाना कदम कुआं में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 20-10-78 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम नारायण प्रसाद सिंह वल्द श्री रामेश्वरी प्र० सिंह साकिन हाल चौधरी टोला थाना सुल्तान गंज, जिला पटना बहैसियत मोखतार आम मिन जानीब श्रीमती शैलकुमारी देवी जौजे श्री नरेन्द्र नाराण शर्मा साकिन चौधरी टोला जगर नाथसिंह लेन, थाना सुलतानगंज, पोस्ट महेन्द्र, जिला पटना।

(अन्तरक)

2. श्री अरविन्द प्रसाद सिंह वल्द रामानुज प्रसाद सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट मथरा थाना बिहारीशरीफ जिला नालन्दा।
वर्तमान "मथरा हाउस" भिखनापहड़ी, पटना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा 1 कट्ठा, 7 धूर, और 5½ धूरकी चाहरदिवारी के साथ जो करीब 1845 वर्ग फीट का है, यह मौजा मोलाना चक महाल सादीकपुर जोगी थाना कदमकुआं जिला पटना में स्थित है। यह पूर्णतया दस्तावेज संख्या 6484, दिनांक 20-10-78 में वर्णित है जिसका पंजीयन जिला अवर निबंधन, पटना में हुआ है।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 19-6-79
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 19 जून, 1979

निदेश सं॰ 111-328/अर्जन/79-80—अतः मुझे ज्योतीन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी तौजी नं॰ 227/15347, खाता नं॰ 342 एवं सर्वे प्लाट नं॰ 372 है, तथा जो मौजा मोनिलावक, महाल सादीकपुर योगी थाना कदमकुआँ पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20-10-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रामनारायण प्रसाद सिंह वल्द श्री राममेश्वरी प्रसाद सिंह, सा॰ हाल चौधरी टोला, थाना—सुल्तानगंज, जिला—पटना बहैसियत मोख्तार आम मिन जानीब श्री मती शैल कुमारी देवी जौजे श्री नरेन्द्र साकिन चौधरी टोला, जगरनाथ सिंह लेन, थाना—सुल्तान गंज, (अन्तरक)

2. श्रीमती करुणा देवी जौजे श्री रामानन्द सिंह साकिन सदानन्द पुर, थाना—बलिया, जिला बेगुसराय, हाउस हाल मोकाम, सहारा हाउस, भिखना पहाड़ी, पटना। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकवा 3 कट्ठा 3 धूर 5 धूर की जिसमें जर्जर अवस्था में कमान बना है (गार्डेन हाउस) जो करीब 4304 वर्ग फीट है यह मौजा मोनिलावक महाल सादीकपुर योगी, थाना—कदमकुआँ पटना में स्थित है। यह पूर्णतया दस्तावेज सं॰ 6483 दिनांक 20-10-78 में वर्णित है। उसका पंजीकृत जिला अवर निबन्धक पटना में हुआ है।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र बिहार, पटना

तारीख : 19-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र बिहार, पटना

पटना, दिनांक 19 जून, 1979

निदेश सं० 111-327/अर्जन/79-80—अतः मुझे ज्योतीन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी नं० 227/15347, खाता नं० 342, सर्वे प्लाट नं० 372 है, तथा जो मौजा मौलाना चक महाल सादीकपुर, जोगी पटना में स्थित है और (इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 20-10-78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री रामनारायण प्रसाद सिंह, वल्द श्री रामेश्वरी प्रसाद सिंह, सा० चौधरी टोला, पो० महेन्दू, जिला पटना अटर्नी पावर वास्ते श्रीमती शेल कुमारी देवी जौजे श्री नरेन्द्र मा० शर्मा सा० चौधरी टोला, जगरनाथ सिंह लेन, पटना।

(अन्तरक)

2. श्री रामानन्द प्रसादसिंह वल्द स्व० राम बिलास प्रसादसिंह सा०/पो० सदानन्दपुर थाना, बलिया, जिला बेगुसराय वर्तमान : मधरा हाउस, भिखनापहाड़ी, पटना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का कुल रकबा 3 कट्टा, 10 धूर, 4 धूरकी जो दिवाल से घिरा है, जिसमें आम का वृक्ष है, मौजा मौलानाचक महाल सादीकपुर जोगी, थाना कदमकुआं, जिला पटना में स्थित है। इसका पंजीयन दस्तावेज सं० 1487, दिनांक 20-10-78 को जिला अथर निबन्धक पटना में हुआ है जो पूर्णतया वर्णित है।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 19-6-1979
मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना कार्यालय

पटना, दिनांक 19 जून 1979

निर्देश सं० 111-326/अर्जन/79-80—यतः मुझे ज्योतीन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी नं० 227/15047 खाता नं० 342 है, तथा जो सर्वे प्लौट नं० 372 मौजा मौलाना चक महाल सादीकपुर जोगी थाना कदम कुंआ पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20 अक्तूबर 1978 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राम नारायण प्रसाद सिंह वल्द श्री रामेश्वरी प्रसाद सिंह सा० हाल चौधरी टोला थाना सुलतानगंज जिला पटना व हैसियत मोख्तार आम भिन जनीब श्रीमती शैल कुमारी देवी जौजे श्री नरेन्द्र नारायण शर्मा साकिन चौधरी टोला, जगर नाथ सिंह लेन थाना सुलतानगंज पोस्ट महेन्द्रू जिला पटना।

(अन्तरक)

2. श्री सहजानन्द प्रसाद सिंह वल्द श्री चदुनन्दन प्रसाद सिंह साकिन लोदीपुर थाना अस्थावां पो० अमावन जिला नालन्द वर्तमान राजेन्द्रनगर रोड नम्बर 10 (4), नेताजी पब्लीक स्कूल पटना के मकान में।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा 2 कट्ठा 11 धूर 16 धूर की जिसमें जर्जर अवस्था में मकान चाहरदिवारी के साथ बना है (गार्डन हाउस) जो करीब 3525 वर्गफीट है, यह मौजा मौलानाचक महाल सादीकपुर जोगी थाना कदमकुंआ जिला पटना में स्थित है। यह पूर्ण तथा दस्तावेज संख्या 6486 दिनांक 20-10-78 में वर्णित है जिसका पंजीयन जिला अवर निबन्धक, पटना में हुआ है।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 19-6-79
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 19 जून 1979

निर्देश सं॰ 111-325/अर्जन/79-80/ —अतः मुझे ज्योतीन्द्र नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं॰ होल्डिंग नं॰ 132/130(पुराना) 140/161 (नया) है, तथा जो सर्किल नं॰ 20ए, वार्ड नं॰ 7 जो न्यू एरिया कदम कुआं जिला-पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5 अक्तूबर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (ए) श्री आत्मा राम खन्ना पिता स्व॰ डा॰ शाली ग्राम खन्ना 45/11 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली वर्तमान पता कदम कुआं, पटना जिला पटना।

   (बी) श्री विमला खन्ना पुत्री स्व॰ डा॰ शालीग्राम खन्ना 42, हार्डिंग रोड, थाना, गर्दनी बाग पटना (अन्तरक)

2. श्रीमती राम प्यारी देवी पति राजमुन राय ग्राम निर्भय डिहरा थाना—नवारी, पोस्ट बसौदी जिला—भोजपुर (आरा)। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पूरे रकबे चार कट्ठे में से एक कट्ठा दो मंजिला पक्का मकान जो फूलकूम से जाना जाता है जिसका होल्डिंग नं॰ 132/130(पुराना), 140/161 (नया) सर्किल नं॰ 20ए, वार्ड नं॰ 7 है जो न्यू एरिया कदम कुआं जिला पटना पर स्थित है तथा जो रजिस्ट्रार ऑफ पटना द्वारा पंजीकृत दस्तावेज संख्या 6282 दिनांक 5-10-78 में पूर्ण रूप से वर्णित है।

ज्योतीन्द्रनाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख: 19-6-79
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 19 जून 1979

निदेश सं० 111-324/अर्जन/79-80/ ——यतः मुझे ज्योतिन्द्रनाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० होल्डिंग नं० 132/130 (पुराना) 140/161 (नया) सर्किल नं० 20-ए, वार्ड नं० 7 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में जिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5-10-78

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. (1) श्री नरेन्द्र खन्ना पिता आत्मा राम खन्ना 45/11 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली द्वारा एटौरनी की श्री आत्मा राम खन्ना।

(2) श्रीमती निर्मला दीवान पति श्री ईश्वर दास दीवान "आयोनिक" कोलाबा, बम्बई-400005 द्वारा एटौरनी मिस० विमला खन्ना पुत्री स्व० डा० शालीग्राम खन्ना 42 हार्डिंग रोड़ थाना नईगर्दनीबाग जिला पटना।

(अन्तरक)

2. श्रीमती राम दुलारी देवी पुत्री श्री दुधेश्वर सिंह ग्रा०/पोस्ट अन्धेरी थाना सहार जिला भोजपुर (आरा)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पूरे रकबे चार कट्ठे में से एक कट्ठा दो मंजिला पक्का मकान जो फूलवरी से जाना जाता है जिसका होल्डिंग नं० 132/130 (पुराना) 140/161 (नया) सर्किल नं० 20-ए, वार्ड नं० 7 है जो न्यू एरिया कदम कुआं जिला पटना पर स्थित है तथा जो रजिस्ट्रार आफ पटना द्वारा पंजीकृत दस्तावेज़ संख्या 6283 दिनांक 5-10-78 में पूर्ण रूप से वर्णित है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, बिहार पटना

तारीख : 19-6-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 19 जून 1979

निर्देश सं० 111/323/अर्जन/79-80/ —यतः मुझे ज्योतिन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० होल्डिंग नं० 132/130 (पुराना) 140/161 (नया) सर्किल नं० 20-ए, वार्ड नं० 7 जो न्यू एरिया कदम कुआं में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5-10-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री प्रदीप खन्ना (नाबालिग), पिता श्री आत्मा राम खन्ना द्वारा गारजीयन, 45/11 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली वर्तमान पता मोहल्ला कदम कुआं, पटना, जिला पटना।

(2) मिस शारदा खन्ना, पुत्री डा० शालीग्राम खन्ना एन-98 ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 द्वारा एटौरनी मिस० विमला खन्ना पुत्री शालीग्राम खन्ना 42 हार्डिंग रोड, थाना गर्दनीबाग, जिला पटना।

(अन्तरक)

2. श्री राम नरेश चौधरी पिता श्री काली चौधरी द्वारा श्री मुनेश्वर प्रसाद, मोहल्ला गोलबागीचा, एस० एन० सहाय रोड़, थाना कोतवाली जिला, गया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पूरे रकबे चार कट्ठे में से एक कट्ठा दो मंजिला पक्का मकान जो फूलभ्यू से जाना जाता है जिसका होल्डिंग नं० 132/130(पुराना), 140/161(नया), सर्किल नं० 20-ए, वार्ड नं० 7 है, जो न्यू एरिया, कदम कुआं जिला पटना पर स्थित है तथा जो रजिस्ट्रार, पटना द्वारा पंजीकृत दस्तावेज संख्या 6284 दिनांक 5-10-78 में पूर्ण रूप से वर्णित है।

ज्योतिन्द्रानाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 19-6-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 19 जून 1979

निर्देश सं० III-322/अर्जन/79-80/ —यतः मुझे ज्योतीन्द्र नाथ **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है**

और जिसकी सं० होल्डिंग नं० 132/130(पुराना) 140/161 (नया) सर्किल नं० 20ए, वार्ड नं० 7 जो न्यू एरिया कदम कुआं में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-10-78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) श्री मनमोहन खन्ना पुत्र आत्मा राम खन्ना, 45/11 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली द्वारा एटौरनी श्री आत्मा राम खन्ना।

(2) श्रीमती उर्मिला कुकरेजा पत्नी श्री के० एम० कुकरेजा एन-98 ग्रेटर कैलाश-I, दिल्ली-48 द्वारा एटौरनी मिस विमला खन्ना पुत्री स्व० डा० शालीग्राम खन्ना 42 हार्डिंग रोड, थाना गर्दनीबाग, जिला पटना।

(अन्तरक)

2. श्री सूरज नारायण राय (नाबालिग) पुत्र श्री रामायण राय महल्ला गोलबागीचा, गोबरापार, थाना कोतवाली जिला गया गार्जियनशिप आफ श्री रामायण राय पुत्र श्री राजमुन राय।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पूरे रकबे चार कट्ठे में से एक पक्का दो मंजिला पक्का मकान जो फूल व्यू से जाना जाता है जिसका होल्डिंग नं० 132/130(पुराना), 140/161 (नया), सर्किल नं० 20ए, वार्ड नं० 7 है जो न्यू एरिया कदम कुआं जिला पटना पर स्थित है, तथा जो रजिस्ट्रार आफ पटना द्वारा पंजीकृत दस्तावेज संख्या 6285 दिनांक 5-10-78 में पूर्ण रूप से वर्णित है।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 19-6-79
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 4 मई 1979

निर्देश सं० 884—यतः मुझे बी० वी० सुब्बाराव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 186 और 187.3 है, जो डेल्टा गन्नवरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलाजीपेटा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-10-78 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री एम० सत्यनारायण मूर्ती आयन्टा ।

(अन्तरक)

2. श्री जी० कोंडलाराव पी० गन्नवरम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अमलाजीपेटा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-10-78 में पंजीकृत दस्तावेज सं० 1369/78 में निगमित अनुसूची संपत्ती ।

बी० वी० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 4-5-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 10 मई 1979

निर्देश सं० 885---यतः मुझे बी० वी० सुब्बाराव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 3-39-1, 2 और 3 है, जो भीमवरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भीमवरम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-10-78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:---

1. (1) श्री के० रामचन्द्राराव
   (2) श्री के० मजा भूशन राव
   (3) श्री के० गोपाला कृष्णाराव
   (4) श्री के० बाला कावेंकटेश्वराव
   (5) श्री के० रामामोहन राव
   (6) श्री के० विकवेकानंदराव भीमवरम।

(अन्तरक)

2. (1) श्री एम० रामासीतय्या
   (2) श्री बी० सूर्यावती कोरुकोल्लु बल्लीपाडु।

(अन्तरिती)

3. (1) मैसर्स लेंड रिफारम आफीस
   (2) ए० के० राय
   (3) श्री पी० जे० राजु भीमवरम।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भीमवरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31-10-78 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2089/78 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

बी० वी० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 4-5-79
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, तारीख 6 जून 1979

निदेश सं० आई० ए०सी०/एक्वी०/भोपाल/1276/79-80

अतः मुझे डी० सी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), कि धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं मकान है, तथा जो रतलाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रतलाम में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 9 अक्टूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री मोती लाल (2) श्री वीर चन्द्र पुत्र श्री भेरु लाल जी भंडारी निवासी करवड़ तहसील पेटलावाद जिला झाबुआ

(अन्तरक)

(2) श्री प्रकाश चन्द्र और श्री मोती लाल बाफना निवासी नीम चौक रतलाम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ढाई मंजिला मकान नगरपालिका बियरिंग नं० 33, वार्ड नं० 30 स्थित नीम चौक रतलाम।

डी० सी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 6 जून 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 296-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्वी०/भोपाल/1277—अतः मुझे डी० सी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, 17 अक्टूबर 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गयाप्रसाद शर्मा पुत्र स्व० श्री अयोध्या प्रसाद शर्मा निवासी गामापुरा, जबलपुर

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सावित्री कश्यप पत्नि श्री शारदा प्रसाद कश्यप, निवासी इन्डस्ट्रियल कालोनी कंचनपुर, जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नगर पालिका बियरिंग प्लाट नं० 274/4 व 274/5 पर स्थित मकान शीतलामाई वार्ड, गामापुरा, कृष्णा कालोनी जबलपुर।

डी० सी० गोयल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 6 जून 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, तारीख 12 जून 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्वी०/भोपाल/79-80/1278—अतः, मुझे डी० सी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान भाग है, तथा जो ग्वालियार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 28 अक्टूबर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रमेशवर लाल जौहरी दौलत गंज, लश्कर ग्वालियर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री यदुनाथ सिंह चतुर्वेदी, चतुर्वेदी पथ, भिन्ड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 12/93 मानिक विलास से प्रसिद्ध का भाग साथ खुली भूमि स्थित झांसी रोड लश्कर।

डी० सी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 12-6-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्वी०/भोपाल/79-80/1279 अतः, मुझे डी० सी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

जिसकी सं० मकान भाग है तथा जो ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27 नवम्बर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उ के दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती-(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण ि त में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रामेश्वर लाल जौहरी पुत्र श्री मोती लाल जोहरी दौलत गंज लश्कर, ग्वालियर।

(अन्तरक)

(2) श्री वीरेन्द्र सिंह चतुर्वेदी पुत्र श्री यदुनाथ सिंह चतुर्वेदी, चतुर्वेदी पथ भिन्ड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 12/93 मनिक विलास में प्रमिद्ध 4 का भाग साथ खुली भूमि स्थित झांसी रोड लश्कर।

डी० सी० गोयल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 12-6-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, तारीख 12 जून, 1979

निदेश सं० आई ए० सी०/एक्वी०/भोपाल 79-80/1280—अतः मुझे, डी०सी० गोयल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, तथा जो भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 6 नवम्बर, 1978 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती केशरबाई पत्नी श्री मूलचन्द्र जी जयसवाल जुमेराती, जवाहर चौक, भोपाल।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मनोरमा पत्नी डा० कैलाश चन्द्र गोयल उपमती मार्ग, उज्जैन और श्री रमेश कुमार पुत्र श्री गोपाल दास अग्रवाल, जवाहर चौक, जुमेराती भोपाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तीन मंजिला मकान नं० 8 रकबा 479 वर्गफुट (सन्तोष कुटी) जवाहर चौक, जुमेराती, भोपाल।

डी० सी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 12 जून 1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 1979

निदेश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्वी॰/भोपाल/79-80/1281— अतः, मुझे डी॰सी॰गोयल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं॰ मकान है तथा जो भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 क 16) के अधीन, 19 नवम्बर 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

12—156GI/79

(1) श्री उबेदुर रहमान पुत्र श्री मो॰ रमजान खां मोती मस्जिद के सामने सुल्तानिया रोड, भोपाल। (अन्तरक)

(2) श्री मोहम्मद नजीर कुरैशी पुत्र श्री कादर बक्श कुरैशी बरखेडी नगर, भोपाल। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं॰ 28, मोती मस्जिद के सामने, सुल्तानिया रोड भोपाल।

डी॰ सी॰ गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 12 जून 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, तारीख 12 जून 1979

निदेश सं० आई०ए०सी०एक्वी०/भोपाल 79-80/1282—अतः मुझे डी०सी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान भाग है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 25 नवम्बर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) निलय चन्द्र पुत्र गोपाल राव जी मिथोनकर 29, पुष्पा कुंज सोसाईटी अहमदाबाद गुजरात।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती राजकुमारी पत्नी डा० ज्ञान चन्द्र पहाड़िया छोटी ग्वाल टोली इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप।—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दक्षिण तरफ का आधा भाग मकान नं० 4 भूमि 11438 वर्गफुट साथ पुराना मकान साऊथ तुकौ गंज इन्दौर।

डी०सी०गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 12 जून 1979
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 24th June 1979

No. A.35014/1/79-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri A. Gopalakrishnan, a Section Officer of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission, to officiate on an *ad hoc* basis Section Officer (Special) in the Commission's office for the period from 21-6-1979 to 31-8-1979, or until further orders whichever is earlier.

2. On his appointment to the post of Section Officer (Special), the pay of Shri A. Gopalakrishnan will be regulated in terms of the Ministry of Finance Deptt. of Expenditure O.M. No. F. 10(24)-E.III/60, dated 4th May 1961, as amended from time to time.

S. BALACHANDRAN
Under Secy.
for Secy.
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 16th June 1979

No. A.32013/3/79-Admn.I.—The President has been pleased to appoint Shri S. K. Bose, a permanent Grade I Officer of the CSS cadre of the Union Public Service Commission, as Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission on *ad hoc* basis for a period of three months w.e.f. 19th May 1979 or until further orders, whichever is earlier.

The 21st June 1979

No. A. 32014/1/79-Admn. III.—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of the C. S. S. cadre of Union Public Service Commission to officiate as Section Officer on an *ad hoc* basis for the periods indicated against each or until further orders whichever is earlier.

Sl. No.	Name	Period for which promoted as Section Officer	Remarks
1	2	3	4
1.	Sh. N. M. L. Bhatnagar .	2-6-79 to 19-7-79	
2.	Sh. M. N. Arora . .	1-6-79 to 10-7-79	
3.	Sh. R. P. Sharma . .	21-5-79 to 25-6-79	
4.	Sh. S. D. S. Minhas . .	19-5-79 to 16-6-79	
5.	Sh. J. L. Sud . . .	14-5-79 to 30-6-79	

No. A.32014/1/79-Admn.III.—The President is pleased to appoint Shri K. P. Iyer, a permanent Assistant of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission, to officiate, on an *ad hoc* basis, as Section Officer in the same cadre for a further period from 17-6-79 to 31-7-79 or until further orders, whichever is earlier.

S. BALACHANDRAN
Under Secy.
(Incharge of Administration)
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 2nd July 1979

No. F.2/32/79-Estt.CRPF(PERS.II).—The President is pleased to appoint Shri I. Jayasimha, Commandant, 26 Bn, CRPF as Commandant, 17 Bn, CRPF in addition to his own duties as Commandant, 26 Bn, CRPF, until further orders.

NARENDRA PRASAD
Director

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 26th June 1979

No. C-9/72-Ad.V.—On attaining the age of superannuation, Shri C. R. Chatterjee, Dy. Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation relinquished charge of the office of Dy. Superintendent of Police with effect from the afternoon of 31st May 1979.

The 30th June 1979

No. A-31014/2/76-AD.-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 9 (2) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1965 Director Central Bureau of Investigation & Inspector General of Police, Special Police Establishment hereby appoints the following officers substantively to the post of Deputy Superintendent of Police in the Central Bureau pf Investigation/Special Police Establishment Department of Personnel & Administrative Reforms with effect from 20-10-77.

Sl. No.	Name of the Officer	Present place of posting	Rank in which already permanent in C. B. I.	Branch wherein lien kept on the permanent post of D. S. P in C. B. I
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	B. N. Sinha . .	On deputation to Govt. of Nagaland (Kohima)	Inspector	GOW/ Calcutta
2.	K. N. Gupta . .	CIU-I	Inspector	CIU-I
3.	M. P. Nandapurkar .	GOW/ Bombay	Inspector	GOW/ Bombay
4.	C. R. Chatterjee . .	GOW/ Calcutta	Inspector	GOW/ Calcutta
5.	C. K. Pathak . .	Head Office Zone-IV	Inspector	Head Office
6.	R. P. Kapoor . .	CIU (C)	Inspector	CIU-III
7.	N. C. Verma . .	CIU (NC)	Inspector	CIU(NC)
8.	R. Jaiswal . .	Dehradun	Inspector	Lucknow
9.	Harish Chandra . .	GOW/ Delhi	Inspector	GOW/ Delhi

1	2	3	4	5
10.	Rajnish Pd. Sharma .	CIU(E) II	Inspector	CIU(E)II
11.	P. Unnikrishnan . .	GOW/ Madras	Inspector	GOW/ Madras
12.	Gursem Singh . .	Coord. Div.	—	Head Office
13.	K. G. Vidhyasagar .	S. U.	—	S. U.
14.	A. W. Degwekar .	SIU (Court Cell)	—	S. U.
15.	K. C. Kanungo .	GOW/ Calcutta	—	GO/ Calcutta
16.	Asokh Kumar Suri .	CIU(F)	—	GOW/ Delhi
17.	Murari Lal . .	Shillong	—	Shillong

Inter-se-seniority amongst the promotees/transferees/direct recruit who have been confirmed/permanently absorbed as Dy. Superintendents of Police in CBI in this batch will be fixed subsequently.

No. A-19020/2/79-Ad.V.—The President is pleased to appoint Shri S. Subramanian, IPS (1958-Andhra Pradesh), as Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment, with effect from the forenoon of 16-6-1979 and until further orders.

HERO A. SHAHANEY
Administrative Officer (E)
C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 29th June 1979

No. O.II.1067/78-Estt.—The President is pleased to accept the resignation tendered by Dr. B. Krishna Prasad, Junior Medical Officer (GDO: Grade-II) of Base Hospital-II, CRPF Hyderabad, with effect from 14th March 1979 (AN).

A. K. BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110019, the 29th June 1979

No. E-16013(2)/15/73-Pers.—On repatriation Shri W. J. Dawson IPS (Kar-65) relinquished the charge of the post of Commandant CISF Unit Madras Port Trust, Madras w.e.f. the afternoon of 31st May 1979.

No. E-16013(1)/2/78-Pers.—On attaining the age of superannuation Shri B. Mallareddy relinquished the charge of the post of Commandant CISF Unit IDPL Hyderabad w.e.f. the afternoon of 31st May 1979.

S. NATH
Inspector-General/CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 28th June 1979

No. 11/45/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri A. R. Nanda, an officer belonging to the Orissa Cadre of the Indian Administrative Service, as Director of Census Operations, Karnataka, Bangalore with effect from the forenoon of 1st June 1979, until further orders.

2. The headquarters of Shri Nanda will be at Cuttack.

No. 11/62/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri A. H. Khan, an officer belonging to the Jammu and Kashmir Cadre of the Indian Administrative Service, as Director of Census Operations, Jammu and Kashmir, Srinagar with effect from the forenoon of 1st June 1979, until further orders.

2. The headquarters of Shri Khan will be at Srinagar.

No. 11/72/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri B. K. Das, an officer belonging to the Karnataka Cadre of the Indian Administrative Service, as Director of Census Operations, Karnataka, Bangalore with effect from the afternoon of 6 June 1979, until further orders.

2. The headquarters of Shri Das will be at Bangalore.

The 29th June 1979

No. 11/1/77-Ad.I.—In supersession of this office notification of even number dated 9-4-1979, the President is pleased to appoint Shri S. K. Pathak, Office Superintendent in the office of the Director of Census Operations, Bihar at Patna as Assistant Director of Census Operations on a purely temporary and *ad hoc* basis, in the office of the Director of Census Operations, Manipur, at Imphal, with his headquarters at Imphal, with effect from the forenoon of 31st May 1978 upto 12th September 1978.

2. The President is also pleased to appoint Shri S. K. Pathak as Assistant Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations, Manipur at Imphal with his headquarters at Imphal, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 13th September 1978, until further orders.

P. PADMANABHA
Registrar General, India

MINISTRY OF FINANCE
DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS
BANK NOTE PRESS

Dewas, the 22nd June 1979

F. No. BNP/C/5/79.—In continuation to this Deptt's Notification of even number dated 27th March 1979, the *ad-hoc* appointment of Shri V. Venkataramani, as Technical Officer (Intaglio Printing) in Bank Note Press, Dewas is continued for a further period from 27th June 1979 to 31st August 1979.

P. S. SHIVARAM
General Manager

DIRECTORATE OF PRINTING

New Delhi, the 7th July 1979

No. K(21)-AII.—The Director of Printing is pleased to appoint Shri Harjit Singh Khanna, Technical Officer (Photolitho) to officiate as Deputy Manager (Photolitho), Govt. of India Text Books Press, Chandigarh, with effect from forenoon of 20th June, 1979, until further orders.

P. B. KULKARNI, Jt. Director (Admn.)

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 25th June 1979

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/574/54-Admn(G).—On attaining the age of superannuation Shri D. S. Morkrima relinquished charge of the

post of Deputy Chief Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 31st May 1979.

RAJINDER SINGH
Dy. Chief Controller of Imports and Exports
for Chief Controller of Imports and Exports

BUREAU OF INDUSTRIAL COSTS AND PRICES

New Delhi-110 003, the 26th June 1979

No. A-19011/12/79-BICP.—On transfer from the Department of Industrial Development, Shri G. V. Mathur, an officer of the Section Officers' grade of the C.S.S. in the cadre of Department of Industrial Development, is appointed as Assistant-Secretary-*cum*-Admn. Officer, on deputation basis, in the Bureau of Industrial Costs and Prices with effect from the forenoon of 7th June, 1979 until further orders.

L. KUMAR
Chairman

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi-110011, the 13th June 1979

No. 12(710)/72-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri D. C. Srivastava, Deputy Director (Economics) Central Water Commission, New Delhi, as Deputy Director (Economic Investigation) in the Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi with effect from the forenoon of 26th May 1979 and until further oredrs.

The 16th June 1979

No. 12(684)/71-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri R. R. Fouzdar, Asstt. Director (Gr. II) General Administrative (Division), Small Industries Service Institute, Patna, as Assistant Director (Gr. I) (General Administrative Division) at Small Industries Service Institute, Indore, on *ad-hoc* basis for a period of six months with effect from the 25th May 1979 (F.N.).

The 18th June 1979

No. A-19018(196)/75-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri Sushil Kumar, Assistant Director (Gr. II) (Leather/Footwear), Extension Centre, Jullundur to officiate as Assistant Director (Gr. I) (Leather/Footwear) at Extension Centre, Jullundur, with effect from the 2nd April 1979 (F.N.), until further orders.

The 20th June 1979

No. 12(68)/61-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri Mohd. Akram, Director (Gr. II) (Mechanical), Small Industries Service Institute, Allahabad as Director (Gr. I) (Mechanical) in Small Industries Service Institute, Allahabad on *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 22nd April 1979.

M. P. GUPTA
Deputy Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 19th June 1979

No. A-1/1(1138)/79.—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints Shri B. K. Saxena, Superintendent to officiate on purely *ad-hoc* basis as Assistant Director (Admn.) (Grade II) in the office of the Director of Inspection, N.I. Circle, New Delhi, with effect from the afternoon of the 28th April, 1979 till 15-7-79 *vice* Shri Gian Chand proceeded on medical leave.

K. KISHORE
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

(ADMINISTRATION SECTION A-6)

New Delhi, the 23rd June 1979

No. A-17011(59)/73-A6.—Shri A. R. Hussainy, Asstt. Inspecting Officer (Textiles) in the office of Director of Inspection, Madras retired from service w.e.f. 31st May 1979 (AN) on attaining the age of superannuation.

P. D. SETH
Dy. Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 30th June 1979

No. 1/14/78-SII.—Director General, All India Radio, New Delhi is pleased to appoint Shri J. Gomes, D'Melo, Administrative Officer, Central Sales Unit, Commercial Broadcasting Service, All India Radio, Bombay to officiate as Sr. Administrative Officer at All India Radio, Madras on temporary basis with effect from 27th April 1979.

No. 1/1/79-SII.—Director General, All India Radio, New Delhi is pleased to appoint Shri J. D. Jauhari, Headclerk/Accountant, External Services Division, All India Radio, New Delhi to officiate as Administrative Officer at high Power Transmitter, All India Radio, Khampur temporary basis with effect from 26-4-79.

S. V. SESHADRI
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 30th June 1979

No. 1/5/78-SII.—Shri P. Doraiswamy, Accounts Officer, Regional Engineer, (S), All India Radio, Madras on deputation from the Central Board of Excises and Customs, Madras expired on 7-3-79.

Y. VARMA
Section Officer
for Director General

PUBLICATIONS DIVISION

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, 30th June 1979

No. A. 12025/2/73-Admn. I(DS(C)—The President has been pleased to appoint the following Officers against the posts of Business Manager in the Publications Division with effect from 25-6-1979 till further orders :

1. Shri O. P. Makkar at present Business Manager (ad hoc) New Delhi (H. Qrs.)
2. Shri N. Mishra at present Business Manager (ad-hoc) Sales Emporium Calcutta.
3. Shri M. R. Rajagopalan at present Asstt. Business Manager R. D. O. Madras.
4. Shri Ishwar Chandra at present Asstt. Business Manager New Delhi (H. Qrs.)

2. The following transfers/postings in the grade of Business Manager are also ordered with immediate effect :—

Sl. No.	Name of Officer	Place of present posting	Place to which posted/transfers.
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	S. L. Jaiswal . . .	Sales Emporium Bombay	New Delhi (H.Q.)
2.	O. P. Makkar . .	New Delhi (H. Qrs.)	Sales Emporium Calcutta.
3.	N. Mishra . . .	Sales Emporium Calcutta	Sales Emporium Bombay.
4.	M. R. Rajagopalan. .	R.D.O. Madras.	Sales Emporium Madras.
5.	Ishwar Chandra . .	New Delhi.	Sales Emporium Trivendrum.

S. P. GUPTA
Dy. Secy

(FILMS DIVISION)

Bombay-26, the 20th June 1979

No. A.22013/3/77-Est.I.—Consequent on assumption of charge of the post of Assistant Administrative Officer, Films Division, Bombay, in the forenoon of 12th June 1979 by Shri S. N. Singh, Shri H. G. Bhandarkar Officiating Asstt. Administrative Officer, Films Division, Bombay, reverted to his substantive post of Superintendent on 12th June 1979 (FN).

The 21st June 1979

No. 5/4/56-Est.I.—Shri B. R. Dohling, Permanent In Between Animator, Films Division, Bombay, retired voluntarily from service from the afternoon of the 31st May, 1979.

M. CHANDRAN NAIR
Administrative Officer
for Chief Producer

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 28th June 1979

No. A.12025/13/77-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. Pramod Kumar Sarin to the post of Staff Surgeon (Dental) under the Central Govt. Health Scheme, Delhi with effect from the forenoon of 31st March, 1979 in a temporary capacity and until further orders.

Consequent on his appointment to the post of Staff Surgeon (Dental) under the Central Govt. Health Scheme, Delhi, Dr. Parmod Kumar Sarin relinquished charge of the post of Dental Surgeon, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi on the forenoon of 31st March 1979.

The 30th June 1979

No. A.12025/22/77(FRSL)/Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri G. C. Roy, Junior Chemist, Regional Agmark Laboratory, Kanpur, to the post of Junior Analyst at the Food Research and Standardisation Laboratory, Ghaziabad, on a temporary basis with effect from the forenoon of the 30th May 1979 and until further orders.

S. L. KUTHIALA
Deputy Director Administration (O&M)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 19th June 1979

No. PPED/3(282)/76-Adm.9572.—Director, Power Projects Engineering Division, Bombay hereby appoints Shri M. S. Mohamed Iqbal, Section Officer (Accounts) in the office of the Controller of Defence Accounts (DRs), South Madras on deputation basis in this Division as Assistant Accounts Officer, in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 with effect from the forenoon of May 23, 1979 until further orders.

B. V. THATTE
Administrative Officer

NARORA ATOMIC POWER PROJECT

Narora, the 3rd July 1979

No. NAPP/Adm/1(124)/79-S/7738.—Chief Project Engineer, Narora Atomic Power Project appoints Shri R. Jayaraman, Scientific Officer/Engineer grade SB in the Civil Engineering Group, Kalpakkam to officiate as Scientific Officer/Engineer grade SB in the Narora Atomic Power Project with effect from the forenoon of June 14, 1979 until further orders.

S. KRISHNAN
Administrative Officer
for Chief Project Engineer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400001, the 19th June 1979

No. DPS/23(4)/77-Est. I/64,28—Director, Directorate of Purchase and Stores Department of Atomic Energy appoints the following Purchase Assistants to officiate as Assistant Purchase Officers in the scale of pay of Rs.650-30-740-35-810 EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on an ad hoc baiss in the sam Directorate for the periods indicated against each·

Sl. No.	Name	Period
1.	Shri S. N. Deshmukh . . .	21-2-1979 to 23-3-79
2.	Shri J. T. Nerurkar . . .	9-4-79 to 19-5-79
3.	Shri D. R. Sakhare . . .	23-4-79 to 2-6-79
4.	Shri N. Prabhakaran . . .	23-4-79 to 1-6-79
5.	Shri S. G. Jamsandekar . .	14-5-1979 to 16-6-79
6.	Shri V. C. Varkey . . .	30-4-79 to 22-6-79

C. V. GOPALAKRISHNAN
Assistant Personnel Officer

(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500016, the 25th June 1979

No. AMD-1/8/79-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Shri V. K. Sharma, Foreman 'A' (Mechanical) as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the Atomic Minerals Division in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1st February 1979 until further orders.

No. AMD-1/8/79-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Shri S. C. Subudhi, Foremen (Mining) as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the Atomic Minerals Division in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1st February 1979 until further orders.

The 27th June 1979

No. AMD-1/29/78-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Zafar Husain as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the Atomic Minerals Division in an officiating capacity with effect from the forenoon of 12th June 1979 until further orders.

M. S. RAO
Sr. Administrative & Accounts Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400 008, the 26th June 1979

No. 05052/79/4121.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Tadavarty Venkateswara Gupta, a temporary Foreman of Heavy Water Project (Tuticorin), to officiate as Scientific Officer/Engineer (Grade SB), in the same project, with effect from the forenoon of February 1, 1979 until further orders.

No. 05052/79/4122.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Manoj Kumar Chakrabarty, a temporary Foreman of Heavy Water Project (Talcher), to officiate as Scientific Officer/Engineer (Grade SB) in the same project, with effect from the forenoon of February 1, 1979 until further orders.

K. SANKARANARAYANAN
Senior Administrative Officer

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 29th June 1979

No. A-22012(i)/II/79-E.I.—The President is pleased to appoint Dr. P. S. Pant, Dy. Director General of Meteorology (Forecasting), Pune, India Meteorological Department, as Deputy Director General of Meteorology (Physical Meteorology & Geophysics) at New Delhi in the same department with effect from 21-4-1979 and until further orders.

S. K. DAS
Dy. Director General of Meteorology
(Administration & Stores)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 16th June 1979

No. A-38013/1/79-EA.—Shri Mir Anwar, Controller of Aerodromes, office of the Regional Director, Madras Region, Madras Airport, retired from Govt. service on the 31st May, 1979 AN on attaining the age of superannuation.

The 20th June 1979

No. A-32013/3/79-ES.—In continuation of this office Notification of even No. dated 15-3-1979, the President is pleased to extend the *ad hoc* appointment of S/Shri S. Ranjan and Chaman Lal in the grade of Deputy Director/Controller of Aeronautical Inspection for a period of three months ending 13th Aug. 1979 or till regular appointments to the grade are made, whichever, is earlier on usual terms and conditions.

V. V. JOHRI
Asstt. Director of Administration

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Indore, the 27th June 1979

No. 8/79.—Consequent upon his promotion as Superintendent of Central Excise, Gr. 'B', Shri Sheikh Abdul, Inspr. of Central Excise (S.G.) has assumed charge as Superintendent, Central Excise, M.O.R.I., Sagar in the forenoon of 14th May '79.

Consequent upon his promotion as Superintendent of Central Excise, Gr. 'B', Shri R. K. Tiwari, Inspr. of C. Excise (S.G.) has assumed charge as Superintendent, Central Excise (Preventive), Divl. Office, Sagar in the forenoon of 1st June, 1979.

S. K. DHAR
Collector

CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad, the 7th June 1979

No. 3-564/79-Estt(M).—Sh. Balbir Singh is appointed as Asstt. Admn. Officer, C.C.S. Group 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on *ad hoc* and temporary basis w.e.f. 25-5-79 (FN) in the Central Ground Water Board with his Headquarter at Faridabad till further orders.

B. K. BAWEJA
Chief Hydrogeologist & Member

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (WORKS)

New Delhi, the 26th June 1979

CORRIGENDUM

No. 27-E/T(15)/78-ECII.—*For* the date "5th June 1979" occurring in Fourth line of this Office Notification No. 27-E/T(15)/78-ECII *dated* 8th/13th June 1979 the following may be substituted "3rd June 1979 (AN)0 3-6-1979 AN."

B. R. RATTU
Dy. Director of Admn.
for Director General (Works)

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi the 28th June 1979

No. 6/2/79-Adm. II.—The Chairman Central Electricity Authority hereby appoints the undermentioned Technical Assistants/Supervisors to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service in an officiating capacity with effect from the dates shown against their names until further orders :

Sl. No.	Name and Designation	Date of appointment
1.	Shri B. P. S. Fauzdar, Technical Assistant	3-5-39
2.	Shri A. K. Agnihotri, Technical Assistant	9-5-79
3.	Shri I. A. Khan, Technical Assistant	3-5-79
4.	Shri S. N. Mohanty, Technical Assistant	3-5-79
5.	Shri V. K. Singla, Technical Assistant	3-5-79
6.	Shri B. Jaganna, Technical Assistant	3-5-79
7.	Shri O. P. Arora, Technical Assistant	3-5-79
8.	Shri R. N. Mathur, Technical Assiatant	3-5-79
9.	Shri G. G. Paul, Technical Assistant	11-5-79
10.	Shri D. K. Babuta, Technical Assistant	3-5-79
11.	Shri R. K. Sharma, Technical Assistant	3-5-79
12.	Shri S. K. Sakhooja, Technical Assistant	4-5-79
13.	Shri H. K. Khanduja, Technical Assistant	3-5-79
14.	Shri Om Prakash II, Technical Assistant	3-5-79
15.	Shri Sunil Kumar, Technical Assistant	4-5-79
16.	Shri U. K. Singhal, Technical Assistant	3-5-79
17.	Shri S. K. Shrivastava I, Technical Assistant	3-5-79
18.	Shri T. C. Sanyal, Technical Assistant	8-5-79
19.	Shri R. S. Moorjani, Technical Assiatant	3-5-79
20.	Shri T. R. Bahl, Technical Assistant	3-5-79
21.	Shri R. K. Gatrg, Technical Assistant	3-5-79
22.	Shri R. G. Subbaraju, Assistant Technical	7-5-79
23.	Shri Rakesh Bhanot, Technical Assistant	3-5-79

1	2	3
24.	Sh. Chandan Roy, Technical Assistant	30.5.79
25.	Sh. R.C. Siwari, Technical Assistant	3.5.79
26.	Sh. A.K. Sood, Technical Assistant	3.5.79
27.	Sh. Batto Singh, Technical Assistant	3.5.73
28.	Sh. A.S. Roy, Supervisor	8.6.79
29.	Sh. K.S. Sandhu, Supervisor	4.6.79
30.	Sh. Surinder Prasad, Supervisor	8.6.79

S. BISWAS
Under Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
(COMPANY LAW BOARD)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Bombay, the 20th June 1979

No. 14690/LIQ.—Notice is hereby given pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1956 that M/s. West End Bobbins Pvt. Ltd. has been ordered to be wound up by an order dated 15-11-78 passed by the High Court of Maharashtra and that Official Liquidator attached to the High Court of Maharashtra has been appointed as the Official Liquidator of the company.

Sd. ILLEGIBLE
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Flourishing Hire Purchase Finance & Chit Fund Private Limited

Jullundur, the 27th June 1979

No. G/Stat/560/2886/2497.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Flourishing Hire-Purchase Finance & Chit Fund Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Guru Ramdass Financiers & Chit Fund Company Private Limited

Jullundur, the 27th June 1979

No. G/Stat/560/3133/2504.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Guru Ramdass Financiers & Chit Fund Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Malik Lucky Scheme & Finance Private Limited

Jullundur, the 3rd July 1979

No. G/Stat/560/2798/L/2734.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Malik Lucky Scheme & Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. P. TAYAL
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Trade Chemicals and Adhesive Company Private Limited

Patna, the 27th June 1979

No. (842)560/A/1231.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the Trade Chemicals and Adhesive Company Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Rai Sahab S. Arora and Company Private Limited

Patna, the 30th June 1979

No. (268)3/78-79/560/1265—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of sec. 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Rai Sahab S. Arora and Company Private Limited unless cause is shown to the Contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

P. K. CHATTERJEE
Registrar of Companies
Bihar, Patna

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Hindustan Travels and Power Mills Limited

Madras-600 006, the 28th June 1979

No. 3709/560(5)/79.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hindustan Travels and Power Mills Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Vennila Transports Private Limited

Madras-600 006, the 28th June 1979

No. DN/3727/560(3)/79.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Sec. 560 (3) of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of Vennila Transports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of T. B. N. Bus Private Limited

Madras-600 006, the 28th June 1979

No. DN/4404/560(3)/79.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Sec. 560 (3) of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of T.B.N. Bus Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

C. ACHUTHAN
Asst. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Madras

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Balkrishna Shah & Co. Private Limited

Gwalior, the 29th June 1979

No. 239/Tech/1593.—Notice is, hereby, given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Balkrishna Shah & Co. Private Limited unless cause it shown to the contrary, will be struck off the REGISTRFR and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Kandoi & Saraf Private Limited

Gwalior, the 29th June 1979

No. 722/Tech/1594.—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Kandoi & Saraf Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. K. SAXENA
Registrar of Companies
Madhya Pradesh, Gwalior

FORM ITNS———

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISTAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 3rd July 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/7-79/358.—Whereas, I, D. P. Goyal being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C-58 situated at Shivaji Park, Rohtak Road, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 9-10-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sushila Kumari W/o Shri Dev Raj Arora
R/o C-58, Shivaji Park, Rohtak Road, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Naresh Kumar Jain S/o Shri Ram Singh Jain
R/o H. No. 3361, Tri Nagar New Delhi
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storeyed house, comprising of two bed rooms, one drawing dinning, one garrage, one kitchen, one W.C. and one latrine-cum-bath, built on free hold plot of land bearing Plot No. C-58, measuring 418 sq. yds. situated in the colony known as Shivaji Park, on Rohtak Road, area of village Madipur Delhi State, Delhi and bounded as under :—

North : Property No. H-48/49.
South : Road
East : Property No. C-60
West : Property No. C-56

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi

Date : 3-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 3rd July 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/7-79/357.—Whereas I, D. P. Goyal being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. J-3/137 situated at Rajouri Garden, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 7-10-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269-D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Cavas M. Desai S/o Sh. M. C. Desai R/o J-3/137, Rajouri Garden New Delhi as G. Attorney of Smt. Mehru Manak Desai.
(Transferor)

(2) Smt. Neelam Khullar W/o Sh. S. R. Khullar R/o J-137, Rajouri Garden New Delhi
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house, single storeyed, built on freehold plot of land bearing plot No. 137 in Block J-3, measuring 160 sq. yds. situated in the colony known as Rajouri Garden area of village Tatarpur Delhi State, Delhi bounded as under :—

North : Lawn
South : Property No. J-3/136
East : Service Road.
West : Service Lane

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi

Date : 3-7-1979
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE III,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 3rd July 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/7-79/359.—Whereas, I,
D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. S-15 situated at Ajay Enclave New Delhi village Tihar Delhi State Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on 10-1-79,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Faqir Chand Puri S/o Sh. Kesho Nath Puri R/o R-8, Indra Market, Sabzi Mandi Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Jagdish Lal Talwar S/o Sh. Ram Rakha Mal and his son Bharat Bhushan Talwar R/o D-91, Ajay Enclave New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. S/15, Khasra No. 301/1, in Ajay Enclave Colony Delhi situated in area of Village Tihar Delhi State Delhi of 3 shops, Varandah and one hall room at the back, bath, latrine water and electric flush running connection area 200 sq. yds. and bounded as under :—

North : Plot No. S/14
South : Plot S/16
East : Service Lane
West : Service Lane

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi

Date : 3-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 3rd July 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/7-79/360.—Whereas I, D. P. Goyal being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. F-26, situated at Green Park New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 28-11-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) faciiltating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Sarwan Singh So Minhan Singh R/o C-3/4, Rana Partap Bagh Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Satish Kumar S/o Om Parkash Nayar R/o R-8, Green Park New Delhi
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A 2½ storeyed residential building, constructed on a freehold plot No. 26, Block F, measuring 327 sq. yds. situated at Green Park New Delhi and bounded as under :—

North : Plot No. F-25
South : Plot No. F-27
East : Road
West : Plot No. F-59

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi

Date : 3-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE III,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 3rd July 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/7-79/361 —Whereas, I, D. P. Goyal being the Competent Authority under Section 269 of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. A-7, situated at Inderpuri New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Delhi
on 13-11-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in ursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Vaid Prakash Bakshi A-112, Inderpuri New Delhi-110 012.

(Transferor)

(2) Mrs. Badami Devi (2) Charan Singh, (3) Kamal Kumar, (4) Mangal Singh and (5) Vinod Kumar all R/o 6125, Nabi Karim, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here in as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A 1½ storey house No. A-7, Inderpuri New Delhi situated on a land measuring 207½ sq. yds bounded as under :—

North : Lane 10 ft.
South : Road 30 ft.
East : Road 40 ft.
West : House No. A-8

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi

Date : 3-7-79

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE I
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 3rd July 1979

Ref. No. I.A.C. Acq. I/S.R.III/10-1978/731.—Whereas I, Miss Anjani Oza
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agricultural lands situated at Sultan pur, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 21-10-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Smt. Kumarani Jaya Laxmi Shah W/of Lt. Col. Maharaj Kumar Shardul Bikram Shah and Kunwarani Mahima Shah wfie of Raj Kumar Sagar Bikram, Shah through attorney Raj Kumar Sagar Bikram Shah son of Maharaj Kumar Sardul Bikram
Survey No. 74 part C.T.S No. 564 situated at Mulund
(Transferor)

(2) Mrs. Suman Bansi lal wife of Bansi lal R/o. F-18 N.D.S.E. Part-I, New Delhi
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here in as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands situated at Sultan pur, New Delhi of the following khasra numbers : with tube well and fencing wires :

Khasra No.	Area
96/2	(1—0)
78/2,	(1 - 0)
9,	4—16)
12,	4—16)
22	4—16)
96/26	2—1)
78/19	4 16)

situated at village Mehrauli, New Delhi

MISS ANJANI OZA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date : 3-7-1979
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE I
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 5th July 1979

Ref. No. I.A.C. Acq. I/S.R.III/10-1978/697.—Whereas I, Miss Anjani Oza,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 23 situated at Central Lane, (Bengali Market), New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on 12-10-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising frmo the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mahinder Pershad Jain son of Late Shri Mahabir Prashad Jain : Resident of 25 Central Lane, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Arun Kumar (2) Shri Anil Kumar and Shri Ravinder Kumar sons of Late Shri Ganga Parshad and (4) Shrimati Raj Rani wife of Shri Vishnu Kumar : All Residents of : 1988 Gali Paranthewali Chandni Chowk, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storeyed house No. 23 Central Lane, constructed on a plot of land No. 60 in Block No. 205-C measuring 330 Sq. yards situated in Bengali Market, New Delhi and bounded as under :

North : 25 Central Lane, New Delhi
South : 21 Central Lane, New Delhi
East : Road
West : Play ground :

MISS ANJANI OZA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 5-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE I
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi ,the 4th July 1979

Ref. No. I.A.C. Acq. I/S.R.III/11-78/785.—Whereas I, Miss Anjani Oza
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 91 situated at National Park, Lajpatnagar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 11-11-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajeshwar Kapoor, son of Shri Keshwa Nand R/o : 35-A Nizamuddin East, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shrimati Sushila Rani wife of Shri D. P. Singh : Resident of : 1 National Park, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expire later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land bearing No. 91 National Park, Lajpatnagar, New Delhi measuring 200 Sq. yards.

MISS ANJANI OZA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 4-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE I
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 4th July 1979

Ref. No. I.A.C. Acq. I/S.R.III/10-1978/696.—Whereas I, Miss Anjani Oza

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 76 (shop) situated at Bhagat Singh Market, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, at New Delhi on 9-10-1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, on the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Roshan lal Khandpur son of Shri Harbans Singh Khandpur, Resident of : Q-49 D.S. Lajpatnagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Ram Nath son of Shri Anant Ram, R/o : B-160 B. K. Dutta Colony, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Government built Shop No. 76 measuring 399 Sq. ft. land charged 2/3rd to ground floor shop and 1/3rd to first floor flat situated at Bhagat Singh Market, New Delhi.

MISS ANJANI OZA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 4-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 28th June 1979

No. A.R.III/A.P.302/79-80.—Whereas I, V. S. Sheshadri being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. C.T.S. No. 853, 853/1, 853/2, 853/3, 853/6, situated at Marol (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 2-12-1978 Document No. S-10 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Neil John Creado
2. Darryl Anthony Creado.
3. Winston Joseph Creado.
4. Colin Victor Creado.
5. Astor Thomas Creado.

(Transferor)

(2) Messrs. L. L. Builders.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. 1033/78 and registered on 22-12-1978 with the Sub-Registrar Bombay.

V. S. SHESHADRI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Bombay

Date : 28-6-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 29th June 1979

No. A.R. IV/864/79-80.—Whereas I, V. S. Sheshadri, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961) (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Survey No. 74 part C.T.S. No. 564 situated at Mulund (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Bombay on 4-12-1978 (Doc. No. S1434/78) for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Laxman Marya Bhoir, Anandibai Laxman Bhoir.

(Transferor)

(2) Bodhisatva Ambedkar Cooperative Housing Society Limited.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. 1434/78 (Bombay) and registered on 4-12-1978 with the Sub-Registrar Bombay.

V. S. SHESHADRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Bombay

Date : 29-6-79

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE III

Madras-6, the 1st February 1979

Ref. No. 41/Oct/78.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sur. No 2077/A-2 & B-2 situated at Nagercoil
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
JSRO I, Nagercoil (Doc. No. 3654/78) on 26th Oct. 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Shri M. Jesudhas,
S/o Manosa,
Yusudian Street,
Nagercoil. (Transferor)

(2) M/s Parthas Textiles,
Cape Road,
Nagercoil. (Tansferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

64 cents of land & superstructure thereon situate at Nagarcoil in Sur. No. 2077-A-2 & B-2.

O. ANANDARAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 1-2-1979
Seal :.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 2nd March 1979

Ref. No. 44/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM, **being the Competent Authority under Section 269B of the** Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1 situated at Kasim Maistry Street, Dharmapuri
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
SRO Dharamapuri West (Doc. No. 1087/78 on 26-10-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) **facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Shri D. N. Chinnaraju;
S/o Venkatrama Achari;
2. Shri D. C. Thyagarajan;
3. Shri D. C. Sudharasanam; &
4. Cinor D. C. Krishnamoorthy;
Ss/o Shri D. N. Chinnaraju
Anjakara Street, Dharmapuri.

(Transferor)

(2) Shri AL. PL. Palaniappa Chettiar,
S/o Alagappa Chettiar,
Kasim Maistry Street,
Dharmapuri

(Tansferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Land & buildings at Door No. 1, Kasim Maistry Street, Dharmapuri.

O. ANANDARAM.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 2-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 20th April 1979

Ref. No. 13/Oct/78.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No. 186 situated at Devangar Street, Palani
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
JSRO I, Palani (Doc. No. 1308/78 on 25th Oct. 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of–

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following person, namely :—

(1) 1. Shri R. Sowrirajulu Chettiar,
64 Sukravarpettai,
Coimbatore Town.
2. Shri S. Rengarajan,
S/o Shri R. Sowrirajulu Chettiar,
3. Shri S. Bhuvanendran,
S/o Shri R. Sowrirajulu Chettiar,

(Transferor)

(2) Janaba Mehboob Neesa,
W/o late S. Abdul Rasheed,
20, Azeez Rowther Lane,
Palani.

(Tansferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & buildings situated at No. 186, Devanagar Street, Palani.

O. ANANDARAM,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 20-4-1979

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 7th May 1979

Ref. No. 10/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 49H-1, Old Burial Ground Road, situated at Dindigul (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR III, Dindigul (Doc. No. 1622/78) on 31-10-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Sundaresan,
S/o Shri Ramasami Pillai,
West Govindapuram,
Dindigul.

(Transferor)

(2) Shri P. N. Arumugam Achari,
S/o Nagalingam Achari,
Nattanmai Naicker Lane,
Dindigul.

(Tansferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & Buildings situate at Plot No. 9, at Door No. 49-H1, in T.S. No. 734/2A1 of Ward No. 1, Old Burial Ground Road, Dindigul.

O. ANANDARAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 7-5-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 20th May 1979

Ref. No. 35/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 129, 130 & 131 situated at Angappa Naicken Street, Madras-1,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16) of 1908) in the Office of the Registering Officer at
JSR I, Madras North (Doc. No. 4060/78) on 15-10-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) Shri Madan Mohanji Mandir Trust,
8, Perumal Kudali Street,
Madras-1.
(Transferor)

(2) 1. Shri M. Idris,
2. Shri A. G. Athaulla,
3. Shri A. G. Lukman,
No. 85, Thambu Chetty Street,
Madras-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 4060/78—JSR I, Madras North.

Land & Buildings at No. 129, 130 & 131, Angappa Naicken Street, Madras-1.

O. ANANDARAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 20-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 20th May 1979

Ref. No. 40/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 11 situated at Millers Road, Kilpauk, Madras-10.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at JSRO II Madras North. (Doc. No. 4278/78) on 31-10-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Amala Bangaru represented by her power of attorney agent Nesamoni Daniel Jose, Advocate, 13 B, Thalayari Street, Madras-4.

(Transferor)

(2) 1. Shri Tharmaraj Motcham Fernando
2. Shri Benildes Nimal Fernando
S/o Shri Tharmaraj Motcham Fernando
3. Shri Francis Netton Fernando
S/o Shri Tharmaraj Motcham Fernando
4. Shri Bernard Newin Fernando
S/o Shri Tharmaraj Motcham Fernando
5. Shri Francis Nixon Fernando
S/o Shri Tharmaraj Motcham Fernando
No. 49, Malayappan Street, Mannady, Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 4278/78
Land & Buildings at Door No. 10, Miller Road, Kilpauk, Madras-10.

O. ANANDARAM,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 20-5-1979
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 24th May 1979

Ref. No. 21/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 223, 224, 225 & 226 situated at Salem Road, Tiruchengode (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO Tiruchengode (Doc. No. 1409/78) on 4-10-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. C. Lakshmiammal,
W/o R. V. Chockalingam
2. C. Ravichandran,
3. C. Vijayakumar
Maravaneri Extension Street No. 6,
Salem.
4. Smt. Jayanthi,
W/o T. N. Chandra Mudaliar,
Basavankudi, Tata Silk Firm Street,
Bangalore City.

(Transferor)

(2) 1. Shri R. Loganathan,
S/o Shri A. Ramasami Mudaliar.
2. Shri R. Saminathan
S/o Shri A. Ramasami Mudaliar.
3. Shri R. Ragunathan
S/o Shri A. Ramasami Mudaliar.
Salem Road, Tiruchengode.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 1409/78.
Land & Buildings at Door Nos. 223, 224, 225 & 226, Salem Road, Tiruchengode.

O. ANANDARAM,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I, Madras-600 006.

Date : 24-5-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 26th May 1979

Ref. No. 9/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 173 & 174 situated at Bungalow Street, Tiruchengode
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
SRO Tiruchengode (Doc. No. 1453/78) on 31-10-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. R. Rajan,
S/o Shri R. Raja Gounder,
Kattupalayam, Mannathi Village,
Tiruchengode Taluk.

(Transferor)

(2) Shri T. R. Kumararaja,
S/o Shri T. N. Raja Gounder,
Pallipalayam Road (Bungalow St.)
Tiruchengode.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 1453/78—SRO Tiruchengode.
Land Buildings at No. 173 & 174, Bungalow Street Tiruchengode.

O. ANANDARAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras 600 006.

Date : 26-5-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 26th May 1979

Ref. No. 19/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing R.S. No. 253/2A1A situated at Thirupparankundram Village, Thirupparankundram Panchayat, Madurai Dt. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO, Madurai (Doc. No. 1041/78) in Oct. 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Smt. Radha Lajapathi,
C-61, Meenakshi Street,
Thirunagar, Madurai-6.
and
2. Smt. V. R. Visalakshi
D-17, Meenakshi Stret,
Thirunagar, Madurai.
For M/s. Ravi & Co.,
Thirunagar, Madurai.

(Transferor)

(2) 1. Shri KN. K. S. KN. Sokkalingam Chettiar.
2. Smt. KN. S. Meenakshi Achi
W/o Shri KN. K. S. KN. Sokkalingam Chettiar
Nattarasankottai, Ramanathapuram Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expire later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 1041/78.

Land & Factory Building.

R.S. No. 253/2A1A—Thirupparankundram Village, Thirupparankundram Panchayat, Madurai Dt.

O. ANANDARAM,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 26-5-1979
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 29th May 1979

Ref. No. 3/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing S. No. 73/4D1 situated at P.N. Patti, Mettur Dam P.O. Salem Dist. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mecheri. (Doc. No. 1802/78) in Oct. 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Valli Ammal,
W/o Sri P. Sidda Mudaliar,
37/1, Salem Main Road,
Mettur Dam P.O. Salem Dist.
(Transferor)

(2) M/s. Lakshmi Theatre,
Mettur Dam P.O. Salem Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 1802/78 S.R.O. Mecheri.
Land and semi permanent theatre building at S. No. 73/4D1 P.N. Patti, Mettur Dam P.O. Salem District.

O. ANANDARAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 29-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 31st May 1979

Ref. No. 17/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 8, situated at Besan Road, Sokkikulam, Madurai,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
JSR I, Madurai (Doc. No. 3844/78) in Oct. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Saraswathi Kalyanam,
W/o Late Shri K. A. Kalyanam,
8, Besan Road, Sokkikulam,
Madurai.

(Transferor)

(2) 1. Shri S. Chidambrara Nadar,
2. Shri Sivasubramaniam,
3. Minor Shri Suresh &
4. Minor Shri Anandh
2/518, Matunga College Road,
Bombay-19.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 3844/78. JSR I Madurai.
Land & Buildings at Door No. 8, Besan Road, Sokkikulam, Madurai.

O. ANANDARAM,
Competent Authority
Inspecting assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 31-5-1979
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 31st May 1979

Ref. No. 24/Oct/78.—Whereas, I, O. ANANDARAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Agrl. lands (12.04 acres) situated at (S. No. 589/4 589/3, 589/6 & 589/1) Ayyampalayam Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
JSR I Dindigul (Doc. No. 548/78) in Oct. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideraiton and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedinsg for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

S/Shri
(1) 1. Mohamed Salik,
2. Shahul Hameed,
3. Abdul Kareem,
4. Abdul Majeed,
5. Abubacker, &
6. Sikkander.
Ayyampalayam Village,
Dindigul Taluk.
(Transferor)

(2) Shri Naina Mohamed,
S/o Shri Noor Mohamed,
Uthamapalayam Village,
Dindigul Taluk.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 547/78 JSR I, Dindigul.

Agricultural lands—12-04 acres at Ayyampalayam Village, Dindigul Taluk, Survey Nos. 589/4 589/3, 589/6 & 589/1.

O. ANANDARAM,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 31-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 14th June 1979

Ref. No. 11/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 70 situated at Tamilsangam Road, Madurai (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO Pudumandapam (Doc. No. 1861/78) on Oct. 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising form the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

16—156GI/79

(1) Shri K. S. Venkateswaran
S/o Late K. V. Sivaramakrishna Iyer,
No. 5, Town Hall Road, Madurai.
(Transferor)

(2) 1. Mrs. A. D. Jaya,
2. Mrs. A. D. J. Dharmambal
3. Mrs. A. D. J. Prema,
4. Mrs. A. D. Sasikala
No. 4, North Street,
District Board Colony, Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 1861/78—S.R.O. Pudumandapam.
Land & Buildings at Door No. 70, Tamilsangam Road, Madurai.

O. ANANDRAM,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 14-6-1979

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 15th June 1979

Ref. No. 25/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 5, situated at General Collins Road, Madras-7,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908); in the office of the Registering Officer at
SRO Periamet, Madras on Oct. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Antony Kenneth Kelly
by power of attorney agent S. A. P. Alvares,
No. 29, 4th Main Road, Ganeshi Nagar,
Adyar, Madras-20.
2. Mrs. Mary Patricia Kouwen,
No. 5, General Collins Road,
Vepery, Madras-7.
(Transferor)

(2) 1. Shri B. Kantilal Jain,
2. Shri S. Suresh Kumar,
3. Smt. S. Shanta Bai,
4. Smt. M. Godawari Bai.
172, Mint Street, Madras-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 1073/78 S.R.O. Periamet.
Land & Buildings at No. 5, General Collins Road. Madras-7.

O. ANANDARAM,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 15-6-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-600 006, the 15th June 1979

Ref. No. 46/Oct./78.—Whereas, I, O. ANANDARAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 211, situated at Angappa Naicken Street, Madras-1, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO North Madras (Doc. No. 3950/78) on Oct. 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or exasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mohamed Aysha Beevi,
W/o Shri O. S. Ibrahim,
No. 27/28, Armenian Street,
Madras-1.
(Transferor

(2) Mrs. A. S. Syed Johara Beevi,
W/o Shri N. M. Mohamed Aboobacker,
2/67, Main Road, Podakkudi,
Tanjore District.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the srvice of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 3950/78 S.R.O. North Madras.
Land & Buildings at Door No. 211, Angappa Naicken Street, Madras-1.

O. ANANDARAM,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date : 15-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 22nd June 1979

Ref. No. 6721.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 39, situated at Soorappa Mudali St., Madras-5 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at *Madras North (Doc. No. 749/78)* on Oct. 1978. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S. Suseela Ammal & M. Sambandam Chetty No. 4, Narayana Chetty St., Madras-3.

(Transferor)

(2) K. Jamal Mohedeen J. Jainambee Beevi No. 30. I Lane Dr. Natesa Road, Madras-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 39, Soorappa Mudali St., Madras-5. (Doc. No. 749/78)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date : 22-6-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INNCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 22nd June 1979

Ref. No. 6766.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 20 situated at Bajanai Koil St., Nandambakkam, Madras-89
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madras North (Doc. No. 4261/78) on Oct. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) V. Seethalakshmi W/o. M. S. Parthasarathy, N. Kalyani W/o. M. S. Venkataramani, No. 10, Arcot Mudali St., Madras-17.
(Transferor)

(2) Prabha Chakravarti W/o. Kannan Chakravarti, No. 24, Kasturi Ranga Iyengar Road, Madras.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at No. 20, Bajanai Koil St., Nandambakkam, Madras-89.
(Doc. No. 4261/78)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date : 22-6-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 22nd June 1979

Ref. No. 6675.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 9B, Edward Elliots Road situated at Madras-4
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Mylapore (Doc. No. 1421/78) on Oct. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) E. K. Parthasarthy, Sanjay Parthasarathy, rep. by E. K. Parthasarathy, 15, Sathyanarayana Avenue, Madras-600 028.

(Transferor)

(2) Dr. N. Varadarajan, 9, B, Edward Elliots Road, Mylapore, Madras-600 004.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 9B, Edward Elliots Road, Madras-4.
(Doc. No. 1421/78)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date : 22-6-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 22nd June 1979

Ref No. 8401.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. R. S. No. 54. 5, 54.6, 54.7 situated at Karuppur Village, Nannilam Tk.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Thiruvarur (Doc. No. 2229/78) in Oct. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

(1) RM. S. Ramanathan Chettiar S/o. Sundaresan Chettiar, 59, Vattalam Road, Vevakottai.
(Transferor)

(2) T. Natarajan, S/o. R. M. Thyagaraja Pillai, 12, Udayar St., Thiruvarur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building in RS. No. 54.5, 54.6, 54.7 Karuppur Village, Nannilam Tk.

(Doc. No. 2229/78)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date : 22-6-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref. No. RAC. No. 57/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 11-5-404 situated at Red Hills Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in Oct. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Dr. Feroze Hussain, H. No. 11-5-404 at Red Hills, Hyderabad.

(Transferor)

2. Dr. Jaweed Hussain, S/o Sri Mustansir Ali, Represented by G.P.A. Sri Mustansir Ali, H. No. 11-5-404 at Red Hills, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House M. No. 11-5-404 situated at Red Hills, Hyderabad, measuring 1087 Sq. Mcts. registered vide Doc. No. 3886/78 in the office of the Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref.' No. RAC. No. 58/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 2-24 situated at Shivunepally Village Warangal-Tq.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Warangal in October 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the **property as aforesaid exceeds the apparent consideration** therefor by more than fifteen per cent of **such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any **moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for** the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax **Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

17—156GI/79

1. Sri Pokala Chandraiah, R/o Ippagudem Village Janagaon-Tq, Warangal. Dist.
(Transferor)

2. Sri Parshi Shankar Rao, S/o Lingayya, Shivunipally, Village, Warangal Tq. Warangal Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein as** are defined in Chapter XXA of **the said** Act, shall have the same meaning as given in **that Chapter.**

THE SCHEDULE

House bearing Gram Panchayat No. 2-24 situated at Shivunipally Village, Warangal-Tq, Warangal. Dist, registered vide Doc. No. 4105/78 in the office of the Sub-Registrar Warangal.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref. No RAC. No. 59/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 5-9-24/82 situated at Lake Hills Road, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in October 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1992) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforsaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

1. M/s Hotel Firdaus, H. No. 5-9-24/82 at Lake Hills, Road, Hyderaabd.

(Transferor)

2. Hyderabad INN Hotels Pvt. Ltd., 5-9-24/82 Lake Hills, Road, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building M. No. 5-9-24/82 known as "HYDERABAD INN HOTEL" at Lake Hills Road, Hyderabad, registered vide Document No. 4445/78 in the Office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, *1961 (43 OF 1961)*

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref. No. RAC. No. 60/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No .15-1-503/B/29 situated at Ashok Market Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), **has been transferred under the Registration Act, 1908 (16** of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Doodbowli in October 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the **object of :—**

(a) facilitating the reduction or avasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, **in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or **which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;**

Now, therefore in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. M/s. Bharat Construction Co., H. No. 15-1-503 at Siddiamber Bazar, Hyderabad.

(Transferor)

2. Sri Kanak Doshi, S/o Ratilal Doshi, H. No. 15-1-503/B/29 at Ashok Market, Siddiember Bazar, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office room M. No. 15-1-503/B/29 in 2nd floor of Ashok Market Siddiamber Bazar, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1219/78 in the Office of the Sub-Registrar Doobhbouli.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref. No. RAC. No. 61/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961) (43 of 1961), (hereinafter referred as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Port 9-1-155 & 156 situated at Sebastian Road, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Secunderabad on October-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Smt. Vijayalakshmi Raghavan, H. No. 40-B at Sebastian Road, Secunderabad.
(Transferor)

2. Smt. Raj Kapur, H. No. (18-A East Maredpally, Secunderabad) H. No. 9-1-155 & 156 at Sebastian Road, Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of premises No. 9-1-155 and 156 situated at Sebastian Road, Secunderabad, registered vide Document No. 2586/78 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref. No. RAC. No. 62/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Port 9-1-155 and 156 Sebastian Road, Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Secunderabad on October-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

1. Smt. Vijayalakshmi Raghavan, H. No. 40-B at Sebastian Road, Secunderabad.
(Transferor)

2. Smt. Leela Chona, H. No. 40-A Sebastian Road, Secunderabad (9-1-155 and 156 at Sebastian Road, Secunderabad).
(Transferee)

3. Sri Ravi Kumar Ohri, H. No. 9-1-155 at Hevastian Road, Secunderabad.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of House M. No. 9-1-155 and 156 situated at Sebastian Road, Secunderabad, registered vide Document No. 2587/78 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX (C.A.)

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref. No. RAC. No. 63/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 7 in situated at 22-7-269/3 Dewan Devdi, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Azampura on October-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. M/s Shaw Builders, 22-7-269/3 Dewan Devdi, Hyderabad.

(Transferor)

2. Sri Abdul Sattar, S/o Mohd. Ibrahim, C/o India Tailor, at Madina Market, Dewan Devdi, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 7 Building No. 22-7-269/3 at Dewan Devdi, Salarjung Market, Hyderabad registered vide Doc. No. 2940/78 in the office of the Sub-Registrar Azampura.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref. No. RAC. No. 64/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 12/743, 12/744 situated at S.V.N. Road, Warangal (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Warangal on October-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957, (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Sri Adepu Venkatadri, S/o Venkatanaraiah, Tailoring, Business, Warangal, 2. Smt. D. Suvarnalaxmi, W/o Vykuntham, R/o S. V. N. Road, H. No. 12/744, Warangal.
(Transferor)

2. S/Shri Thuma Koteswara Rao, S/o Veeraswamy, 2. Thumma Upendramma, W/o Jagannadam, H. No. 12/744 at S.V.N. Road, Warangal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 12/743 and 12/744 situated at S.V.N. Road, Warangal, registered vide Document No. 3988/78 in the Office of the Sub-Registrar Warangal.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref. No. RAC. No. 65/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing
No. Land S. Nos. 141, 142, 143 situated at Shaikpet, Villg. Hyd.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Khairtabad on October-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Sri Mir Kifayath Ali Khan, H. No. 9-4-86 Shaikpet, (Muneer Bagh) Hyderabad.
(Transferor)

2. The Ideal Co-operative Housing Society Ltd. situated at 3-5-804/2/3 at Hyderaguda, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land in survey Nos. 141, 142 and 143 situated at M. No. 9-4-86 at Shaikpet village, Hyderabad, registered vide Document No. 2730/78 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref. No. RAC.No. 66/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,0000/- and bearing

No. Flat B1-F-5 situated at Poonam Apartment, Chiragali Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on October 78

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

18—156 GI/79

(1) Shri Bhagwatlu Pershad, S/o Matadin, H. No. 3-5-170/A/9 at Narayanguda, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri U. Kuppuswamy, H. No. 1-8-702/31/2 at Nallakunta, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B1-F-5 on 3rd floor in House M. No. 5-8-512 to 517-C at Chiragali lane, Hyderabad, "(Poonam Apartments") registered vide Doc. No. 4662/78 in the office of the Joint Sub-Registrar, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th June 1979

Ref. No. RAC. No. 67/79-20.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000 and bearing
No. 1 & 2 on 1st floor of 5-8-918 & 519 at Chirgali lane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on October 78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Taramani W/o Sri Giriraj Goyal, G.P.A. holder, H. No. 5-3-1053 at Shanker Bagh, Osmangunj, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Smt. Sharda Bai, W/o Bala Pershad, H. No. 5-9-5, Saifabad, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office room Nos. 1 and 2 in premises M. No. 5-8-518 and 519 at Jagdish Market, Chirgali lane, Hyderabad, registered vide Document No. 4590/78 in the office of the Joint Sub-Registrar, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyerabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 68-79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3-5-783/22 situated at Kingh Koti Road, Hyderabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on October 78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. Balaji Nagaraj, H. No. 5-9-194/2 at Chiragali lane, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Smt. Khaleda Begum, W/o Sri Ali Bin Salch, H. No. 23-8-367 at Shahli Banda, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 3-5-783/22 situated at Kingh Koti Road, Hyderabad, admeasuring 296 Sq. Yds. registered vide Doc. No. 4583/78 in the office of the Joint Sub-Registrar, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 69/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
6-3-674/1, situated at Punjagutta, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on October, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Premji Lalji s/o
Shri Lalji Meghji,
R/o Panjagutta,
Hyderabad
(Transferor)

(2) Sri Vijay Anand Maduri,
s/o Sri M. Rajeshwar,
H. No. 6-3-674/1 at Panjagutta,
Hyderabad
(C/o Maduri Motors, Bashirbagh, Hyderabad).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land M. No. 6-3-674/1 admeasuring 900 Sq Yds situated at Begumpet Road, Panjagutta, Hyderabad, registered vide Document No. 4573/78 in the office of the Joint Sub registrar, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 70/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
6-3-674/1, situated at Panjagutta, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Hyderabad on October, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Premji Lalji s/o
Shri Lalji Meghji,
R/o Panjagutta,
Hyderabad

(Transferor)

(2) Sri Maduri Rajeshwar,
s/o late Krishnaiah,
H. No. 8-2-416 at Banjara Hills,
Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing M. No. 6-3-674/1, situated at Begumpet Road, Panjagutta, Hyderabad, ad measuring 1093 Sq. Yds, registered vide Document No. 4698/78 in the Joint Sub-Registrar office, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Re. No. RAC. No. 71/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
8-3-933, situated at Srinagar Colony, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairtabad on October 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri P. Narayana Rao,
H. No. 8-3-933 Plot No. 7
at Srinagar Colony,
Hyderabad. (Transferor)

(2) Sri S. Raghavan,
Behind Amrit Nivas Building,
Bank Street,
Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House M No. 8-3-933, Plot No. 7, situated at Srinagar Colony Hyderabad, registered vide Doc. No. 2809/78 in the office of the Sub Registrar, Khairtabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 72/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agrl. land S. No. 15, situated at Sahebnagar, Vig Village,

(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Hyderabad-East on October, 1978

for an apparent consideration which is less than the fair marked value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Krapa Rangayya, s/o Brahmayya, R/o Gudianaram, G.P.A. of Pochagari Mallaya, H. No. 16-11-739 at Gaddiarnaram, Hyderabad-East.

(Transferor)

(2) Sri J. V. Poornaiah Sharma, H. No. 1-8-80/3 at Chikkadpally, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 5 Acres in Survey No. 15 at Sahebnagar Kurd, Village Hyderabad East, registered vide Doc. No. 6185/78 in the Sub-Registrar of Hyderabad-East.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 73/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
5-9-161 160/3, 160/4 Chapel road, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad-East on October, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Sri Sultan Hussain Bin Omer,
2. Smt. Sultan Jehan Begum,
W/o Omer Bin Moh.
3. Smt. Qamer Jehan Begum,
W/o Khan Arif Khan.
all residing at H. No. 5-9-161 at Chappel Road, Nampally, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Sita Jai Singh, W/o
Sri P. B. Jai Singh,
R/o Plot No. 1 Bansilalpet,
Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storey Building with open space and two shops bearing M. No. 5-9-161, 160/3, 160/4, situated at Chappel Road, Nampally, Hyderabad, registered vide Document No. 4188/78 in the office of the Joint Sub-Registrar, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 74/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
5-3-25, situated at Jeera, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Secunderabad on October 1978
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

19—156GI/79

(1) Smt. S. Meerakshi,
W/o S. Narayanaswamy,
H. No. 5-3-25 at Jeera,
Secunderabad.
(Transferor)

(2) 1. Mrs. Hemlata K. Kotak, W/o Kiran Kumar V. Kotak,
2. Mrs. Rajani M. Kotak,
W/o Mahendra Kumar V. Kotak,
both residing at H. No. 2-2-132 at M.G. Road, Secunderabad.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

THE SCHEDULE

Door No. 5-3-25, situated at Jeera, Secunderabad, registered vide Doc. No. 2660/78 in the office of the Sub-Registrar, Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 75/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
6-3-674/1, situated at Panjagutta, Hyderabad
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairtabad on October, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Premji Lalji, s/o
Lalji Meghji,
R/o Panjagutta, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Madhusudhan Maduri,
s/o late Narsimha Rao,
H. No 6-3-674/1 at Begumpet,
Hyderabad.
(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot area 1080 Sq. Yds. bearing M. No. 6-3-674/1, situated at Begumpet, Hyderabad, registered vide Doc. No. 2788/78 in the office of the Sub-Registrar, Khairtabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 76/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
3-6-545/1, 2, situated at Himayatnagar, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in October, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. K. Vijayamma,
W/o K. Krishna Reddy,
H. No. 3-6-545/1 at Himayatnagar,
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Fakeerchand,
s/o Bhagatram,
R/o Bahadurpura, Hyderabad-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House M. No. 3-6-545/1 and 2, situated at Himayatnagar, Hyerabad, registered vide Doc. No. 4387/78 in the office of the Sub-Registrar, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Re. No. RAC. No. 77/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
6-23-2259, situated at Dubba Road, Nizamabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Nizamabad in October, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any monesy or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri B. Lingoji, s/o Narsoji,
H. No. 6-14-10 at Hamalwadi,
Nizamabad.

(Transferor)

(2) Sri Shardool Singh,
s/o Ramsingh,
R/o Khaleelwadi,
Nizamabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House M. No. 6-23-2259, situated at Dubba Road, Nizamabad, registered vide Document No. 5521/78 in the Sub Registrar, Nizamabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 78/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
6-3-674/1, situated at Panjagutta, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Hyderabad on October, 1978
for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incomt-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Premji Lalji,
s/o Lalji Meghji,
H. No. 6-3-673 at Panjagutta, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Smt. Kala Vijaya Anand,
R/o 62-C at Sardar Patel Road,
Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land in M. No. 6-3-674/1 admeasuring 1200 Sq. Yds, situated at Panjagutta, Hyderabad, registered vide Document No. 4515/78 in the office of the Joint Sub-Registrar, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 79/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Ludhiana
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
12-5-139, 142, 143, situated at Turanaka, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule anexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Secunderabad on October, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such aparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Master Mhernesh B. Dittia,
By guardian Sri B. F. Dittia, and Mrs. P. B. Dittia,
Banjara Hills, Hyderabad.
(Transferor)

(2 Dr. Hari Kishenrao Muddiraju,
H. No. 12-1-334 at Lallapet,
Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 12-5-139, 142, 143 with Land and Building admeasuring 1994 Sq. Mets. situated at Vijayapuri Tarnaka, Secunderabad, registered vide Doc. No. 2518/78 in the office of the Sub-Registrar, Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 80/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
15-1-503/A/72, situated at Ashok Market, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Doodbowli in October, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Smt. Munni Bai,
W/o Mohanlal,
15-2-403 Siddiamber Bazar, Ashok Market,
Hyderabad.

(Transferor)

(2) M/ Bhatut Construction Co.,
15-1-503 Siddiamber Bazar Ashok Market,
Hyderabad.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Mulgi bearing No. A/72 on the ground floor of 15-1-503 at Ashok Market, Siddiembar Bazar, Hyderabad, registered vide Document No. 1254/78 in the office of the Sub-Registrar, Doodbowli.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hydcrabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 81/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
15-1-503/A73, situated at Siddiember Bazar, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Doodbowli in October, 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Munni Bai, W/o Mohanlal,
15-2-403 at Siddiamber Bazar, Ashok Market,
Hyderabad.

(Transferor)

(2) M/s. Bharat Construction Co.,
15-1-503 Siddiamber Bazar Ashok Market,
Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazettee or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises bearing M. No. 15-1-503/A/73, situated at Ashok Market, Siddiember Bazar, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1269/78 in the office o the Sub-Registrar, Doodbowli.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. RAC. No. 82/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
12-5-3/, situated at Tarraka, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Secunderabad in October, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Raj Anandaram,
s/o Sri S. Anandaram,
H No. 131 "Usha"— Srinagar Colony,
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Tulsidevi,
W/o Sri T. Tulsi Ram,
H. No. 12-5-3/1 at Bathkammakunta,
Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House M. No. 12-5-3/1, situated at Bathakammakunta, Secunderabad, admeasuring 478 Sq. Yds registered vide Document No. 2615/78 in the office of the Sub-Registrar, Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th June 1979

Ref. No. PAC. No. 83/79-80.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
15-1-503/A/3, situated at Ashok Market, Siddiamber Bazar, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Secunderabad in October, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, In pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) (i) Sri Bharatkumar,
21-1-773, Patel Market, Hyderabad.
(ii) Sri Ishwarlal,
21-7-84/1, Ghansi Bazar, Hyderabad.
(Transferors)

(2) (i) Smt. Mangani Bai,
(ii) Udayakumar (minor) represented by father Bharat Kumar, 15-2-744,
Osmangunj, Hyderabad.
(Transferees)

(3) Gowri Shanker Slate Industries,
Siddiamber Bazar, Hyderabad.
[Person in occupation of the property]

Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop bearing No. 15-1-503/A/3 in Ashok Market, Siddiamber Bazar, Hyderabad registered through Document No. 1270/78 by the Sub-Registrar, Doodhbowli, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority.
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 16-6-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 2nd April 1979

Ref. No. III-314/Acq/79-80.—Whereas, I,
J. NATH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
deed no 6609, Holding No. 60/59 Circle No. 15 Ward No. 16 of Patna Municipal Corporation,
situated of Subzibagh Ps. Pibahore, Patna
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registration Officer at
Patna on 26-10-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Bibi (Smt.) Rabiya Khatoon
W/o Late Mr. Gulam Waris
Resident of Exhibition Road Patna (near Vijya Bank Ltd).
(Transferor)

(2) Nehal Ashraf (Minor)
S/o Md. Ashraf
Prof. Patna Glass House Patna-4.
(Resident of Darzi Tola)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are denfied in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3 Kothas of land with 5 to 6 khaphraphes rooms bearing Holding no 60/59 Circle No. 15, Ward No. 16 of Patna Municipal Corporation situated at Mohalla subzibagh Ps. Pirbahore Patna 4 described in deed No. 6609 dated 26-10-78 registered with the District sub registrar, Patna.

J. NATH.
Competent Authority
Inspecting assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Patna.

Date : 2-4-79
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 2nd April 1979

Ref No. III-313/Acq/79-80.—Whereas, I,
J. NATH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing deed no 6608. Holding No. 60/59 Circle No. 15 Ward No. 16 of Patna Municipal Corporation.
situated at Subzibagh Ps. Pirbahore, Patna
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Patna on 26-10-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922); or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bibi (Smt.) Rabiya Khatoon
W/o Late Mr. Gulam Waris
Resident of Exhibition Road Patna (near Vijya Bank Ltd).
(Transferor)

(2) Nehal Ashraf (Minor)
S/o Md. Ashraf
Prof. Patna Glass House Patna-4.
(Resident of Darzi Tola)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3 Kothas of land with 3 Pucca rooms bearing Holding No. 60/59 , Ward No. 15, Ward No. 16 of Patna Municipal Corporation situated at Mohalla subzibagh Ps. Pirbahore Patna 4 described in deed No. 6608 dated 26-10-78 registered with the District Sub registrar, Patna.

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Patna.

Date : 2-4-79
Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 8th June 1979

Ref. No. III-321/Acq/7.—Whereas, I, J. NATH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Old holding No. 88, Settlement Plot No. 159 within the Deogher Municipality.
situated at Mouza Purandaha, town Deogher dist. Santhal Praganas.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Deogher on 28-10-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ratindra Nath Mitra, Atindra Nath Mitra, Argha Mitra and Ashok Mitra all resident of 25 Raja Dinendra Street, Calcutta-9.
(Transferor)

(2) Smt Kiran Devi Shroff Wife of Abhey Kumar Shroff resident of Baidyanath Dham, Deogher in the district of Santhal Praganas.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this noticed in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring about 18½ Kathas according to local Rohini Scale bearing Settlement Plot No. 158 within the Deogher Municipality, Ward No. 12 Holding No. 95, Old holding No. 88 situated at Mouza Purandaha in Deogher district Santhal Praganas described more fully in deed No. 4328 dt. 28-10-78 registered with the DSR, Deogher.

J. NATH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Patna.

Date : 8-6-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INNCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 8th June 1979

Ref. No. III-320/Acq/7.—Whereas, I,
J. NATH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Old holding No. 88, New 95 in Ward No. 12 of Deogher Municipality.
situated at as per schedule
(and more fully described in the schedule annexed hereto, has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Deogher on 19-10-78
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rathindra Nath Mitra, Atindra Nath Mitra, Argha Mitra and Ashok Mitra all resident of 25 Raja Dinendra Street, Calcutta-9.
(Transferor)

(2) Smt. Kiran Devi Shroff Wife of Abhey Kumar Shroff resident of Baidyanath Dham, Deogher in the district of Santhal Praganas.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Partly one storeyed and partly two storeyed building to be known as "The Retreat" with the relative measuring 7415 (Seven thousand four hundred and fifteen) sq. ft. situated in mouza Purandaha Taluk Kuthiagara, Deogher in the district of Santhal Praganas bearing old holding No. 88, New 95 in Ward no. 12 of Deogher Municipality described morefully in deed No. 3621 dt. 19-10-78 registered with the DSR, Deogher.

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Patna.

Date 8-6-79
seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 19th June 1979

Ref. No. III-330/Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Touzi No. 227/15347. Khata No. 342 survey Plot No. 372 situated at Mouza Maulnachack Mahal Sadikpur Jogi Ps. Kadam Kuan, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Patna on 20-10-78, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of teh aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Narayan Pd. Singh S/o. Shri Ramashwari Pd. Singh Choudhary Tola PoOo Mahendra Ps. Sultanganj Distt. Patna as Attorney holding general power of attorney on behalf of Smt. Shati Kumari Devi W/o Shri Narendra Narayan Sharma resident of Choudhary Tola Jagannath Singh Lane P.O. Mahendra Ps. Sultanganj Distt. Patna.

(Transferor)

(2) Shri Anil Kumar Sinha S/o Shri Ramanuj Pd. Singh R/o Village & P.O. Maghra Ps. Biharsarif Dist Nalande All Present—'Maghra House' Bhikhnapahri Patna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land including compound wall measuring an area of 1 katha 1 Dhur and 3½ Dhurki that is about 1441 Sq. ft. situated at Mouza Maulnachack Mahal Sadikpur Jogi Ps. Kadam Kuan District Patna described in deed No. 6485 dated 20-10-78 registered with District Sub-registrar Patna.

J. NATH.
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Patna.

Date : 19-6-79
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 19th June 1979

Ref. No. III-329 'Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Touzi No 227/15347. Khata No. 342 survey Plot No. 377 situated at Mouza Maulnachack Mahal Sadikpur Jogi Ps. Kadam Kuan, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Patna on 20-10-78. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Narayan Pd. Singh S/o Shri Rameshwari Pd. Singh Choudhary Tola P.O. Mahendra Ps. Sultanganj Distt. Patna as Attorney holding general power of attorney on behalf of Smt. Sruti Kunari Devi W/o Shri Narendra Narayan Sharma resident of Choudhary Tola Jagannath Singh Lane P.O. Mahendra Ps. Sultanganj Distt. Patna.

(Transferor)

(2) Shri Arbind Prasad Singh S/o Ramanuj Prasad Singh R/o Village & P.O. Maghra Ps. Biharsarif Dist Nalanda At Present—'Maghra House' Bhikhnapahati Patna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land including compound wall measuring an area of 1 Katha 7 Dhur and 5½ Dhurki that is about 1845 Sq. ft. situated at Mouza Maulnachack Mahal Sadikpur Jogi P.S. Kadamkuan District Patna described in deed No. 6484 dated 20-10-78 registered with District Sub-registrar Patna.

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Patna.

Date : 19-6-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 19th June 1979

Ref. No. III-328/Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Touzi No. 227/15347. Khata No. 342 survey Plot No. 372 situated at Mouza Maulnachack Mohal Sadikpur Jogi Ps. Kadam Kuan, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Patna on 20-10-78. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Narayan Pd. Singh S/o Shri Rameshwari Pd. Singh Choudhary Tola P.O. Mahendra Ps. Sultanganj Distt. Patna as Attorney holding general power of attorney on behalf of Smt. Shait Kumari Devi W/o Shri Narendra Narayan Sharma resident of Choudhary Tola Jagannath Singh Lane P.O. Mahendra Ps. Sultanganj Distt. Patna.

(Transferor)

(2) Smt. Karuna Devi W/o Shri Ramanand Prasad Singh R/o Village & P.O.—Sadanandpur Ps. Ballia Dist. Begusarai, at present—Maghra House Bhikhnapahri, Patna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land with delapidated building (Garden House) measuring an area of 3 Katha 3 Dhur and 5 Dhurki that is about 4304 Sq. ft. situated at Mouza Maulna Chack Mohal Sadikpur Jogi Ps. Kadam Kuan Patna described in deed No. 6483 dt. 20-10-78 registered with District Sub registrar Patna.

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Patna.

Date : 19-6-79
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 19th June 1979

Ref. No. III-327/Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Touzi No. 227/15347, Khata No. 342, survey Plot No. 372 situated at Mouza Maulnachack Mahal Sadikpur Jogi Ps. Kadam Kuan Patna.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 20-10-78.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Narayan Pd. Singh S/o. Shri Ramashwari Pd. Singh Choudhary Tola P.O. Mahendra Ps. Sultanganj Distt. Patna as Attorney holding general power of attorney on behalf of Smt. Shait Kumari Devi W/o Shri Narendra Naravan Sharma resident of Choudhary Tola, Jagannath Singh Lane P.O. Mahendra Ps. Sultanganj Distt. Patna.

(Transferor)

(2) Shri Ramanand Prasad Singh S/o Late Rambilash Prasad Singh R/o Village & P.O.—Sadanandpur Ps. Ballia Dist. Begusarai, present—'Maghna House Bhikhnapahri Patna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land with boundary wall measuring 3 Katha 10 Dhurs and 4 Dhurkis that is about 4778 Sq. ft. with Jogi Ps. Kadam Kaun Dist Patna described in deed No. 1487 Jogi Ps. Kadam Kuan Dist. Patna described in deed Ps. 1487 dt. 20-10-78 registered with District Sub registrar Patna.

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Patna

Date : 19-6-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

Patna, the 19th June 1979

Ref. No. III-326/Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, J. NATH,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bihar,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Touzi No. 227/15347. Khata No. 342 survey Plot No. 372 at Mouza Maulnachack Mahal Sadikpur Jogi Ps. Kadam Kuan Patna.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 20-10-78.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Narayan Pd. Singh S/o Shri Rameshwari Pd. Singh Choudhary Tola P.O. Mahendra Ps. Sultanganj Distt. Patna as Attorney holding general power of attorney on behalf of Smt. Shait Kumari Devi W/o Shri Narendra Narain Sharma resident of Choudhary Tola Jagannath Singh Lane P.O. Mahendra Ps. Sultanganj Distt. Patna.

(Transferor)

(2) Shri Sahjanand Prasad Singh S/o Shri Yadunandan Prasad Singh R/o Village Lodipur Ps. Asthawan P.O. Amawan District Nalanda, at present—Rajendra Nagar Road No. 10 (H) in the building of Netajee Public School Patna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land with delapidated buildings (Garden House) with boundary wall measuring area of 2 Katha 11 Dhur 16 Dharki that is about 3525 Sq. ft. situated at Mouza Maulana chack Mahal Sadikpur Jogi Ps. Kadam Kuan District Patna described in deed No. 6486 dated 20-10-78 registered with District Sub registrar Patna.

J. NATH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Aange, Bihar, Patna

Date : 19-6-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

Patna, the 19th June 1979

Ref. No. III-325/Acq/79-80.—Whereas, I,
J. NATH.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bihar,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearng No.
Holding No. 132/130 (old) 140/161 (New) Circle No. 20A Ward No. 7 situated at Kadam Kuan, New Area Patna,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 5-10-78.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : —

(1) Shri Atma Ram Khana S/o late Dr. Shaligram Khana resident of 45/11 East Patel Nagar, New Delhi, at present Mohalla Kadam Kuan, District and Town Patna and Miss Bimla Khanna D/o late Shaligram Khanna resident of 42 Hardinge Road Ps. Gardenibagh Dist Patna.

(Transferor)

(2) Smt. Ram Pyari Devi W/o Rajmun Rai resident of village Nirbhai Dihra Ps. Tarari Po. Basowri District Bhojpur. (Arrah).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double Storeyed pucca house "Fulvue" bearing old holding No. 132/130 New 140/161 Circle No. 20A, Ward No. 7 situated at New Area, Kadamkuan district and town Patna measuring more or less one Katha out of four Kathas within the limits of Patna Municipal Corporation described in deed No. 6282 dated 5-10-78 registered with the District Sub Registrar Patna.

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date : 19-6-79

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

Patna, the 19th June 1979

Ref. No. III-324/Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bihar, Patna

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Holding No. 132/130 (old) 140/161 (New) Circle No. 20A Ward No. 7 situated at Kadam Kuan New Area Patna,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 5-10-78.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Narendra Khanna Son of Sri Atma Ram Khanna resident of 45/11 East Patel Nagar, New Delhi through Attorney Sri Atma Ram Khanna and Smt. Nirmala Diwan w/o Shri Ishwar Das Diwan "Ionim" Colaba, Bombay 400005 through Attorney, Miss Bimla Khanna D/o late Dr. Shaligram Khanna, 42 Hardinge Road Ps. Gardanibagh District Patna.

(Transferor)

(2) Smt. Ram Dulari Devi D/o Shri Dudheshwar Singh, Village & P.O.—Andhari Ps. Sahar Dist. Bhojpur (Arrah).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed pucca house "Fulvue" bearing old holding No. 132/130 New 140/161 Cinch No. 20A Ward No. 7 situated at New Area Kadam Kuan District Patna measuring more or less one Katha out of four Kathas within the limits of Patna Municipal Corporation described in deed No. 6283 dated 5-10-78 registered with the District Sub Registrar Patna.

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 19-6-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 19th June 1979

Ref. No. III-323/Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Holding No. 132/130 (Old) 140/161 (New) Circle No. 20A ward No. 7 situated at Kadam Kuan New Area Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Patna on 5-10-78, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Pradeep Khanna Minor Son of Shri Atma Ram Khanna through guardian, resident of 45/11 East Patel Nagar, New Delhi, at present, Mohalla Kadam Kuan District and Town Patna and Miss Sharda Khanna D/o late Dr. Shaligram Khanna resident of N-98 Greater Kailash I New Delhi-110048 through attorney Miss Bimla Khanna D/o Late Dr. Shaligram Khanna 42 Harding Road Ps. Gardinbagh District Patna.

(Transferor)

(2) Ram Naresh Chaudhary S/o Shri Kali Choudhary C/o Shri Muneshwar Prasad, Mohalla Gol Bagicha, L. N. Sahay Road Ps. Kotwali Dist. Gaya.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double Storeyed pucca house "Ful Vue' bearing old holding No. 132/130 New 150/160 Circle No. 20A Ward No. 7 situated at New Area Kadam Kuan and Town Patna measuring more or less one Katha one of four Kathas within the limits of Patna Municipal Corporation described in deed No. 6284 dated 5-10 78 registered with the District sub Registrar Patna.

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date : 19-6-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 19th June 1979

Ref. No. III-322/Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Holding No. 132/130 (Old) 140/161 (New) Circle No. 20A, Ward No. 7 situated at Kadam Kuan, New Area Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 5-10-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manmohan Khanna Son of Sri Atma Ram Khanna resident of 45/11 East Patel Nagar, New Delhi through attorney Shri Atma Ram Khanna & Smt. Urmila Kukreja W/o Shri K. M. Kukreja resident of N-98, Greater Kailash I, New Delhi 48, through Attorney Miss Bimla Khanna D/o late Dr. Shaligram Khanna, 42 Harding Road Ps. Gardanibagh Dist. Patna.

(Transferor)

(2) Shri Suraj Narain Rai, Minor Son of Sri Ramayan Rai Mohalla-Gol Bagicha Gobra par Ps. Kotwali District Gaya under the guardianship of father Sri Ramayan Rai S/o Sri Rajmun Rai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed pucca house bearing old holding No. 132/130 New 140/161 Circle No. 20A ward No. 7 situated at New Area Kadam Kuan district and Town Patna measuring more or less one katha out of four kathas within the limits of Patna Municipal Corporation discribed the deed No. 6285 dated 5-10-78 registered with the District Sub Registrar Patna.

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date : 19-6-79

Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITIOON RANGE, KAKINADA

Kakinada the 4th May 1979

Ref. No. 884.—Whereas, I, B. V. SUBBA RAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing RS No. 186 & 187.3 situated at Rice Mill at Delt agannavaram (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Ambajipota on 21-10-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Shri Sriam Suryanarayana Moorthy, Achanta, Narsapur Tq., West Godavari Dist.,

(Transferor)

(2) Sri Ganesula Kondala Rao, P. Gannavaram, Kothapeta Tq., East Godavari Dist.,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 1369/78 registered before the S.R.O., Ambajipeta, during the F.N. ended on 31-10-1978.

B. V. SUBBA RAO,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range (i/c) Kakinada.

Date : 4-5-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada the 10th May 1979

Acq. File Ref. No. 885.—Whereas, I, B. V. SUBBA RAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
3-39-1, 2&3 situated at Bhamavaram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Bhimavaram on 18-10-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

22—156GI/79

(1) (1) Kairam Ramachandra Rao, S/o Venkanna, (2) K. Rajabhushana Rao GPA Holder Sri K. (3) K. Gopalakrishna Rao Ramachandra Rao, (44) K. Bala Venkateswararao Sriramapuram, (5) K. Rama Mohan Rao Bhimavaram. W. G. Dist., (6) K. Vivekananda Rao

(Transferor)

(2) (1)Manthena Ramasitayya, w/o. Sri Anandasitaramaraju, Korukollu, Bhimavaram Tq., (2) Ehupatiraju Suryavathi, w/o. Sri Ananda Varma, Ballipadu, Naraspur Tq.,

(Transferee)

(3) (1) O/o. The Land Reforms Appellate Tribunal. (2) A. K. Roy Delta Papers Ltd., (3). Sri P. J. Raju, Bhimavaram.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expresions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 2089/78 registered before the Sub-Registrar, Bhimavaram, during the F. N. ended on 31-10-1978.

B. V. SUBBA RAO,
Competent Authority
Acquisition Range (i/c) Kakinada.

Date : 10-5-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 6th June 1979

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1276/79-80.—Whereas, I, D. C. GOOEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House situated at Ratiam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ratiam on 9-10-1978.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Motilal 2. Shri Veerchand S/o Shri Bheru lalji Bhandari R/o, Karnar Teh. Patlawat Distt. Jhabua.

(Transferor)

(2) Shri Prakashegand and Motilal S/o Shri Kantilal Bafan R/o, Neem Chowk, Ratiam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the under signed :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two and half storyed house Mpl. bearing No. 33, Ward No. 30, situated at Neem Chowk, Ratlam.

D. C. GOEL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-6-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 6th June 1979

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1277/79-80.—Whereas, I, D. C. GOEL.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing HOUSE situated at JABALPUR
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at JABALPUR on 17-10-1978
for an apparent Consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Gayaprasad Sharma son of late Shri Aodhyaprasad Shrma R/O Ghampura, Jabalpur.
(Transferor)

(2) Savitrit Kashyap W/O Shri Sharda Prasad Kashyap R/O Industrial Colony, Kanchghar, Jabalpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Hous on plot bearing corporation no. 274/4 and 274/5, Shitlamatai ward, Ghampura, Krishna Colony, Jabalpur.

D. C. GOEL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date: 6-6-1979.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 12th June 1979

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1278/79-80.—Whereas, I, D. C. GOEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House (part) situated at Gwalior
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gwalior on 28th Octr.,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1)) Shri Satyanarayan, S/o Shri Rameshwarlal Johri, Daulatganj, Lashkar, Gwalior.
(Transferor)

(2) Smt. Savitri Devi, W/o Shri Yadunath Singh Chaturvedi, Chaturvedi Path, Bhind.
(Transferee)

(3) Tenants
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by anv of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house No. 12/93 known as 'Manik Vilas' with open land situated at hansi Road, Iashkar.

D. C. GOEL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 12th June, 1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 12th June 1979

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1279/79-80.—Whereas, I, D. C. GOEL.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House (part) situated at Gwalior
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Gwalior on 27th Novr.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1)) Shri Rameshwarlal Johri, S/o Shri Motilal Johri, Daulatganj, Lashkar, Gwalior.
(Transferor)

(2) Shri Viren drasingh Chatturvedi, S/o Shri Yadunathsingh Chaturvedi, Chaturvedi Path, Bhind.
(Transferee)

(3) Tenants.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house No. 12/93 known as 'Manik Vilas' with open land situated at Jhansi Road, Lashkar.

D. C. GOEL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 12th June, 1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 12th June 1979

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1280/79-80.—Whereas, I, D. C. GOEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House situated at Bhopal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhopal on 6th Oct. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the of this notice under sub-section (1) of Section 269 D of the Said Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : —

(1) Smt. Kesharbai, W/o Moolchand ji Jaiswal, Jumerati, Jawahar Chouk, Bhopal.

(Transferor)

(2) Smt. Manorama, W/o Dr. Kailashchandra Goyal, Upsati Marg, Ujjain and Shri Rameshkumar, S/o Gopaldas Agrawal, Jawahar Chowk, Jumerati, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Three-storeyed house No. 8 on Rakba 479 Sq. ft. (Santsn Kuti) at Jawahar Chowk, Jumerati, Bhopal.

D. C. GOEL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Competent Authority,

Date : 12th June, 1979
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 12th June 1979

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1281/79-80.—Whereas, I, D. C. GOEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (thereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House situated at Bhopal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Bhopal on 19th Oct. 1978
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (I) of Section 269D of the said Act to the following Persons, namely :—

(1) Shri Ubedur Rehman Khan, S/o Mohd. Ramzan Khan Opp. Moti Masjid, Sultania Road, Bhopal.
(Transferor)

(2) Shri Mohd. Nazir Qureshi, S/i Qadar Bakhsh Qurashi Barkhedi Nagar, Bhopal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

House No. 23, Opp. Moti Masjid, Sultania Road, Bhopal.

D. C. GOEL,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 12th June, 1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 12th June 1979

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1282/79-80.—Whereas, I, D. C. GOEL,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House (Part) situated at Indore
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the at Indore on 25th Oct., 1978
Sub-Registrar, Alipore Sadar, 24-Parganas on 3-10-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1)) Shri Vinaychand, S/o Gopalraoji Mecthonkar, 29, Pushakunj Society, Ahmdabad, Gujarat.

(Transferor)

(2) Smt. Rajkumari, W/o Dr. Gyanchand Pahadiar 1, Chhoti Gwaltoli, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Southern Half Portion of House No. 4 consisting of land 11438 sq. ft. with old house at 4, South Tukoganj, Indore.

D. C. GOEL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 12th June, 1979
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE III,
4, 14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 3rd July 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/7-79/356.—Whereas I, D. P. Goyal being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 6711, Block No. 9-B, situated at Dev Nagar, Karol Bagh New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 6-10-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Saminder Kaur W/o S. Nirmal Singh 6711, Block 9-B, Dev Nagar, Karol Bagh New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Sita Ram S/o Sh. Omkar Mal R/o House No. 6711, Block 9-B Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pubcation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two and a half storeyed pucca built house Municipal No. 6711 Ward No. XVI built on lease hold plot No. 20, Khasra No. 279/ 152 Block No. 9-B Area 77 sq. yds. situated in Gali No. 8, Pearey Lal Road, Karol Bagh New Delhi bounded as under :—

North : Pearey Lal Road
South : Gali No. 8
East : House No. 6712
West : House No. 6710

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax,
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi

Date 3-7-1979
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979